हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 फरवरी, 2019

खण्ड–1, अंक–05

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार 25 फरवरी, 2019

पृष्ठ संख्या

शोक–प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

जूट बैग से संबंधित मामला

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू के पारिवारिक सदस्यों का अभिनंदन

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

हरियाणा विधान सभा

सोमवार 25 फरवरी, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

शोक–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री मंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : स्पीकर सर, यह सदन 24 फरवरी, 2019 को कुलगाम, जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड में गोलाबारी में शहीद हुए सिपाही सोमबीर, गांव मीठी, जिला भिवानी के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है एवं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय कृषि मंत्री जी अभी जो शोक–प्रस्ताव सदन में लेकर आये हैं, मैं भी उस पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूं और शोक संतप्त परिवार तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेंगी।

अब मैं दिवंगत आत्मा के सम्मान में उसे श्रद्धांजलि देने के लिये दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन के सदस्यों ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न–काल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या : 3004

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणबीर गंगवा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

To Connect the Bye-Pass of Kurukshetra

*__3014. Shri Subhash Sudha :__ Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the Bye-Pass (outer ring road) of Kurukshetra City from village Jyotisar, Pehowa road up to G.T. Road (Delhi side); if so, the time by which it is likely to be connected ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री सुभाष सुधा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि यह मामला सर्वे के लिए केन्द्र सरकार के पास गया हुआ है। मंत्री जी को विभाग ने गलत सूचना उपलब्ध करवाई है।

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को यह बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और अभी इस बाई–पास का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है।

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, मेरा सवाल भी इसी से सम्बंधित है। लाडवा शहर में भी जाम की बड़ी भारी समस्या है क्योंकि वहां पर यमुनानगर–कुरूक्षेत्र हाईवे लाडवा शहर के अंदर से निकल रहा है। मेरा आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से विनम्र अनुरोध है कि वे लाडवा को जाम की समस्या से मुक्ति दिलवाने के लिए लाडवा में भी यमुनानगर–कुरूक्षेत्र रोड पर एक बाई–पास का निर्माण जल्दी से जल्दी करवायें। इसके साथ ही साथ मेरी श्री सुभाष सुधा जी के साथ माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि कुरूक्षेत्र का यह बाई–पास भी जल्दी से जल्दी बनवाया जाये क्योंकि कुरूक्षेत्र में पिपली से यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट तक जाम की समस्या दिन–प्रति–दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। मेरा मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि इस बाई–पास का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये क्योंकि इसका सारे का सारा सर्वे हो चुका है अब तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मंत्री जी इस बाई–पास के निर्माण की घोषणा करेंगे। माननीय मंत्री जी ने सड़कों के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। पूरे हरियाणा में कहीं भी पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों के सम्बन्ध में किसी की कोई समस्या नहीं है। मेरे हल्के में भी 102 करोड़ रुपये की लागत से माननीय मंत्री ने 100 सड़कों का निर्माण किया है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, हम इस विषय को रि–एग्जामिन करवा लेंगे।

————————

तारांकित प्रश्न संख्या : 3023

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उदय भान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जूट बैग से संबंधित मामला

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : स्पीकर सर, इस बार माननीय वित्त मंत्री जितना अच्छा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं उतना अच्छा बजट

से रिलेटिड डॉकूमैंट्स को डालने वाला बैग, जो कि उनकी टेबल पर रखा है, नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक सवाल उठाया कि जितना सुन्दर बजट होगा उतना सुन्दर यह बैग नहीं है। In this connection, I want to submit that our Government is a village-Government and we believe in Swadeshi. हमारी सरकार कम खर्च करने वाली सरकार है। स्पीकर सर, हम विज्ञापन पर, आवरण पर और दिखावे पर बहुत ही कम खर्च करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह झोले वाली सरकार है। स्पीकर सर, हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संगठन मंत्री रहे, संघ के प्रचारक रहे, नरेन्द्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी हम सभी लोग उस संस्कृति के आदमी हैं जो अपने जीवन पर कम से कम खर्च करते हैं इसलिए हमने बजट को अपने झोले में रखा है। स्पीकर सर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह झोले वाली सरकार है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी बतायें कि इस बैग में बजट है, कापी है, किताब है या कुछ और है? श्री राम बिलास जी का कोई राईट नहीं है कि वे यह बतायें कि बजट झोले में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को यह बताना चाहूंगा कि मेरे इस सदन में सारे राईट्स हैं because I am representing this Government as a Parliamentary Affairs Minister also. स्पीकर सर, मेरे बड़े भाई डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार से डॉक्ट्रेट की है but I am also Doctor in Literature. स्पीकर सर, डॉ. रघुवीर सिंह जी कादियान हमारे ऑनरेबल डॉक्टर हैं। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के पी.एच.डी. हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, जब तक बजट सदन में प्रस्तुत नहीं हो जाता उससे पहले वह किसी के हाथ में नहीं जा सकता। It is the propriety right of the Finance Minister.

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को यह बताना चाहूंगा कि इस बैग में बजट नहीं है। इसमें तो माननीय सदस्यों को दी जाने वाली दूसरी बजट से सम्बंधित सामग्री है। बजट तो फाईनैंस मिनिस्टर जी लेकर आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, राम बिलास शर्मा जी सरकार की सादगी की बात कर रहे हैं। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि इनको इनकी सादगी के बारे में तो हरियाणा प्रदेश की जनता आने वाले लोक सभा और विधान सभा चुनावों में बता देगी। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को यह कहना है कि जनता ने तो अभी पांच नगर निगमों के चुनावों में और जींद के उप–चुनाव में बता दिया है। अब ये और क्या जानना चाहते हैं? लगता है कि इनको अभी तक समझ नहीं आई है। मेरा यह विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की जनता इनको आने वाले लोक सभा व विधान सभा चुनावों में भी इनकी हैसियत के बारे में बता देगी। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि पहले वे यहां पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को चुनौती देते थे। अब इनको इनकी चुनौती का जवाब मिल गया है कि किस प्रकार से इनकी पार्टी को पांच नगर निगमों के चुनावों में और जींद उप–चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी से यह भी कहना है कि इनकी करतूतों से हरियाणा प्रदेश की जनता अभी भी पूरी तरह से वाकिफ है। जनता इनके काले कारनामों को अभी भूली नहीं है। जो कर्मकाण्ड इन लोगों ने अपने 10 साल के शासन काल में किये हैं जनता को वे पूरी तरह से याद हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma : Speaker Sir, now our Hon'ble Finance Minister is coming with the Budget. We warmly welcome him. (Interruption)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, राम बिलास शर्मा जी यहां पर सरासर झुठ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma : Speaker Sir, through you, I want to say him that he may please withdraw his words. He is a very Hon'ble Member of this august House. मैंने यहां पर कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने यह कहा कि यह झोला है और इस झोले में बजट सामग्री है। मैंने यह भी कहा कि यह सरकार झोले वालों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी संघ के प्रचारक

रहे और संगठन में रहे, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी संघ के प्रचारक रहे और इसी प्रकार से हम भी संघ के प्रचारक रहे हैं। हम झोले में अपनी जिन्दगी रखते हैं। यह बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक झोले वाली सरकार है। जो सूटकेस वाले हैं वे तो उधर बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, . . . (विघ्न) Please bring the House in order. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप कृपया बैठ जायें और प्रश्न काल की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वैश्चन लगे हुए हैं जिनमें आपकी पार्टी के भी बहुत से सदस्यों के प्रश्न आज लिस्टिड है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, . . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जगबीर जी, आप कृपया बैठ जायें। हाउस की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, कादियान साहब बहुत ही काबिल एवं सीनियर साथी हैं। पिछली बार जब बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं छोटा सा बैग लेकर आया था तो उस समय विपक्ष के नेता, दूसरे साथियों ने व डॉ. कादियान साहब ने भी मजाक में यह कहा था कि वित्त मंत्री जी आप बैग बहुत छोटा लेकर आये हैं इसीलिए इस बार पहले मैंने यह झोला भेजा है ताकि विपक्ष के सभी माननीय साथियों को तसल्ली हो जाये कि इस बार के बजट में बहुत सी और चीजें भी हैं।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब अगला प्रश्न टेक–अप किया जायेगा।

Details of Saksham Yuva Yojana

*__2995. Smt Geeta Bhukkal :__ Will the Employment Minister be pleased to state -

(a) the details of Saksham Yuva Yojana; and

(b) the district wise number of beneficiaries under Saksham Yuva Yojana in the State as on date?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : श्रीमान्, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्री मान जी,

(क) 'हरियाणा शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना–2016' (लोकप्रिय नाम सक्षम युवा योजना) को 01.11.2016 को राज्य के योग्य स्नातकोत्तर के लिए लागू किया गया। बाद में योजना में पात्र विज्ञान स्नातक, इंजीनियरिंग स्नातक एवं समकक्ष, बी.कॉम., बी.ए. (गणित) और बी.ए. (आर्ट्स) को भी शामिल किया गया। इस योजना में 3 मुख्य घटक हैं:–

(क) बेरोजगारी भत्ता (स्नातकोत्तर को 3000 रु0 प्रतिमाह एवं स्नातक को 1500 रु0 प्रति माह)

(ख) मानदेय (स्नातक/स्नातकोत्तर को अधिकतम् ₹ 6,000/–, 100 घण्टे प्रतिमाह मानद कार्य के एवज में)

(ग) कौशल प्रशिक्षण।

सक्षम युवा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पोस्ट ग्रेजुएट/ग्रेजुएट डिग्री पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और यूटी चंडीगढ़, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।
- आवेदक को लाइव रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक को सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार जैसे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/अर्ध–सरकारी या स्व–रोजगार में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से तीन लाख रुपये (3 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) "सक्षम युवा योजना" के तहत दिनांक 13.02.2019 को कुल 57,580 लाभार्थी योजना के लाभ ले रहे हैं जिसका जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

"सक्षम युवा योजना" के तहत दिनांक 13.02.2019 कुल लाभार्थियों का जिलावार ब्यौरा।		
क्रमांक	**जिला**	**कुल**
1	अंबाला	2143
2	भिवानी	4661
3	चरखी दादरी	695
4	फरीदाबाद	107
5	फतेहाबाद	2477
6	गुरुग्राम	119

7	हिसार	4083
8	झज्जर	2011
9	जींद	3841
10	कैथल	5643
11	करनाल	5566
12	कुरुक्षेत्र	3881
13	महेंद्रगढ़	1867
14	नूंह	288
15	पलवल	459
16	पंचकुला	657
17	पानीपत	1963
18	रेवाड़ी	538
19	रोहतक	4218
20	सिरसा	2335
21	सोनीपत	2285
22	यमुनानगर	7743
	कुल लाभार्थी	**57,580**

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो डिटेल यहां सदन के पटल पर रखी गई हैं । अगर वह इन सभी डिटेल की जानकारी भी बता देते तो ठीक रहता । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि आपने कितने सक्ष्म युवाओं को बेनिफिट दिया है ? आपने जिले वाईज लिखा है कि हमने सक्षम युवा स्कीम के तहत इतने युवाओं को बेनिफिट दिया है । मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो इतने बेनिफिशरीज हैं उनमें से कितनों को रोजगार मिला है ? सक्षम युवा स्कीम के तहत जिन युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर जो रोजगार प्राप्त किया है या जिनको भत्ता मिला है वह कितने हैं ? मैं जानना चाहती हूं कि उनमें से कितने लगे हैं ? अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इसमें युवाओं को क्वालिटी ऑफ जॉब क्या दी जाती है ? यह बताया गया है कि ये सभी बी.ए., बी.कॉम., बी.टैक., एम.टैक. हैं । मंत्री जी, पहले आप इसका जवाब दे दें ।

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, 'सक्षम युवा योजना' देश की पहली ऐसी योजना है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अन्दर हरियाणा के युवाओं के सहयोग के लिए लागू किया है । इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है । माननीय विधायका जी ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसके बारे में पूरी डिटेल बताना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना को फेजिज के अन्दर लागू किया है । इसमें सबसे पहले

स्नातकोत्तर युवाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया था । उसके बाद बी.एस.सी. या फिर बी.कॉम. स्नातक युवाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया । उसके बाद अब यह योजना दूसरे स्नातकों जैसे बी.ए.(आर्टस), बी.ए. (गणित) के युवाओं के लिए भी चालू हो रही है । इस योजना के अन्दर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वह इस प्रकार हैः– अम्बाला में 2143, भिवानी में 4661, चरखी दादरी में 695, फरीदाबाद में 107, फतेहाबाद में 2477, गुरूग्राम में 119, हिसार में 4083, झज्जर में 2011, जीन्द 3841, कैथल में 5643, करनाल में 5566, कुरूक्षेत्र में 3881, महेन्द्रगढ़ और नारनौल में 1867, नूंह में 288, पलवल में 459, पंचकुला में 657, पानीपत में 1963, रेवाड़ी में 538, रोहतक में 4218, सिरसा में 2335, सोनीपत में 2285, यमुनानगर में 7743 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है । इस तरह से इसमें कुल 57 हजार 580 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें से हमने 30 हजार 200 युवाओं को इस योजना के माध्यम से सहयोग करने का फैसला लिया है । मानदेय के रूप में अगर वह 100 घण्टे काम करेंगे तो उनको 100 घण्टे काम करने के ऐवज में 9000/–रुपये और 7500/–रुपये मानदेय देने का काम हमारी सरकार कर रही है । इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सक्ष्म युवा योजना के माध्यम से जो स्नातकोत्तर युवा हैं उनको 3000/–रुपये महीना बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जा रहा है और जो स्नातक युवा हैं उनको 1500/–रुपये महीना बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जा रहा है ।

श्रीमती गीता भुक्कल :अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इन्होंने जिलावाईज उन बेनिफिशरीज की सूची दी है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है । हमारी जानकारी में यह है कि जिले में जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है जैसे आपने झज्जर में 2011 रजिस्ट्रेशन बताए हैं । मैं बताना चाहती हूं कि 60 से 70 प्रतिशत से ज्यादा युवा रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वह दो या तीन महीने काम करते हैं या 15 दिनों के अन्दर–अन्दर ही वह काम छोड़कर चले जाते हैं । मंत्री जी, आप केवल यह बता दें कि इस स्कीम के तहत कितने युवा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कितने युवा छोड़कर जा रहे हैं और आप उनको किस तरह का रोजगार देने की बात कर रहे हैं ? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के मैनीफैस्टो में था कि हम स्नातक को 6000/–रुपये और स्नातकोत्तर को 9000/–रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ? क्या यह भत्ता उसी सक्षम योजना के तहत दिया जा रहा है या फिर यह अलग है क्योंकि आपने 1500/–रुपये और

3000/–रुपये भत्ता देने की बात कही है । इसमें मेरा एक प्रश्न यह भी है कि इन युवाओं को किस तरह के कार्य दिए जाते हैं ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इनकी क्या मोड ऑफ पेमेंट है और किन विभागों के तहत इनको नौकरियां दी जाती हैं ? मैं इनको नौकरियां नहीं कहूंगी । आपने कहा है कि जिस तरह से हमारे रूरल में मनरेगा यानी महात्मा गांधी नैशनल रूरल इम्प्लैयमैंट स्कीम थी जिसमें यह प्रावधान था कि 100 दिन का रोजगार कम पढ़े–लिखे या सेमी स्किल लोगों के लिए था । आपने कहा कि हम 100 दिन का रोजगार पढ़े–लिखे युवाओं को देंगे । माननीय मंत्री जी, कृपा आप यह बताएं कि आप इन युवाओं को किस तरह का कार्य दे रहे हैं और कितने युवा रजिस्ट्रेशन के बाद कार्य छोड़ चुके हैं ?

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी माननीय सदस्या ने सक्षम युवा योजना के तहत रोजगार देने की बात कही है, के परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि सक्षम युवा योजना के तहत सरकार ने कहीं भी रोजगार देने की बात नहीं कही है बल्कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं का सहयोग करना है अर्थात सरकार की हर संभव कोशिश है कि युवा घर पर फ्री न रहे। अगर युवा घर पर फ्री रहेगा तो वह कहीं न कहीं गलत रास्ते पर ही चलेगा तो इस तरह की चीजों के ध्यानार्थ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने यह लोकप्रिय योजना युवाओं के लिए चलाई है ताकि किसी भी सूरत में प्रदेश का नौजवान फ्री न रहे और उसको कहीं न कहीं कोई काम मिल जाये। सक्षम युवा योजना के तहत काम करने के बदले 9000 रुपये तथा 7500 रुपये देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर किसी विभाग में कोई कार्य होता है तो उस विभाग में उस युवा को काम दिया जाता है। सक्षम युवा योजना के तहत तीन साल तक युवाओं को काम देना संभव बनाया गया है और इसके लिए उनको एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है। इससे आगे 3 साल के बाद या 35 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में जो भी पहले होगी, के पश्चात वह युवा इस योजना से बाहर हो जायेगा। जहां तक बेरोजगारी भत्ते की बात है स्नातक और स्नातकोत्तर 5196 युवाओं को क्रमशः 1500 रुपये तथा 3000 रुपये दिए जा रहे हैं और इस तरह से अब तक हम 51 करोड़ 9 लाख बेरोजगारी भत्ते के तौर पर डिस्बर्स कर चुके हैं। दूसरी तरफ सक्षम योजना के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर 74271 युवाओं को अब तक हमने 209 करोड़ 57 लाख रुपये देने का काम किया है अर्थात अब तक हमने कुल 338 करोड़ 80 लाख रुपये बेराजगार युवाओं को देने का किया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं दो सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछना चाहूंगी। पहला प्रश्न यह है कि कि सक्षम युवा योजना के तहत केवल 57000 पोस्ट ग्रेजुएट, एम. टैक., बी.टैक., इंजीनियर्स तथा बी.कॉम. योग्यता वाले युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जब ग्रुप–डी की नौकरी निकली तो उसमें 20 लाख युवाओं ने एप्लाई किया जो कि दिखाता है कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की कितनी बड़ी संख्या है और उसके बावजूद भी सक्षम युवा योजना के अंतर्गत महज 57000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन होना कहीं न कहीं सरकार की विफलता को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि सक्षम युवा योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद कितने युवा अब तक इस सक्षम युवा योजना को छोडकर जा चुके हैं? मंत्री जी मेरी बात का घुमा–फिराकर जवाब दे रहे हैं और सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में जिन युवाओं ने सक्षम युवा योजना में इम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था वे मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनको पशुओं को गिनने की जिम्मेवारी दी गई है। मैंने सोचा शायद गाय–भैंस को गिनने की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें कई विभागों ने अपने पास बुलाया और कहा कि आप गिनती करो कि किसके घर में कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, कितने कुत्ते हैं तथा कितनी बकरियां हैं। इस तरह के काम बी.टैक. और एम.टैक. योग्यता प्राप्त युवाओं को दिए गए। जो बच्चे एम.सी.ए. हैं उनका एक बैच मुझे मिला और बताया कि उनको टॉयलेट्स की गिनती करने तक का भी काम दिया गया है। कुछ बच्चों को खंभों को पेंट करने का काम दिया गया। पिछले दिनों न्यूज पेपर्ज में यह भी आया था कि इन युवाओं से गउंशालाओं में गोबर तक इकट्ठा करवाया गया। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना सरकार का कर्त्तवय है this is the duty and responsibility of Government to give them education, quality education as well as employment as per their qualification . My request is this कि जब आपने बताया है आप सभी ग्रेजुएटस को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को तथा इंजीनियर्स को इस सक्षम युवा योजना में शामिल कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाह रही हूँ कि ऐसे हाइली क्वॉलिफाईड युवाओं के ऐसे कार्य करने के लिए क्यों दिए जा रहे है? जहां तक बेरोजगारी भत्ते की बात है, बेरोजगार युवाओं को बेराजगारी भत्ता तो पहले से ही देने का काम चल रहा है। इसमें कुछ खास नया नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि सक्षम

युवा योजना के माध्यम से किस तरह के कार्य युवाओं को करने के लिए दिए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि इस योजना को रोजगार न माना जाया और न ही इस योजना के तहत जो पैसा मिलता है उसको बेराजगारी भत्ता माना जाये यह दोनों के बीच की एक योजना है। बेरोजगारी भत्ता के नाम से अलग से इसमें उल्लेख है कि 1500 रुपये या 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता होगा। हमने अपने मैनिफैस्टों में भी कहा था कि हम 100 घंटे काम के बदले 9000 तथा 7500 रुपये मानदेय देने का काम करेंगे यानि कि 1500–3000 रुपये का तो बेरोजगारी भत्ता है ही इसके अतिरिक्त 6000 रुपये और सरकार इन बेरोजगार युवाओं को देने का काम करेगी। यदि दोनों को मिलाकर देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जैसाकि पहले बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है 3000 रुपये जमा 6000 रुपये यानि पोस्ट ग्रेजुएट्स को कुल 9000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार ग्रेजुएट्स जिनके लिए 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, के साथ 6000 रुपये यानि 7500 रुपये मिलेंगे और इसके लिए 100 घंटे काम उनसे काम लिया जायेगा। अब यह काम क्या होगा इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। केवल बेरोजगार युवाओं को व्यस्त रखकर उन्हें मानदेय देकर अपने माता–पिता पर बोझ न बनने देना ही सक्षम युवा योजना का मुख्य लक्ष्य है क्योंकि अगर युवा पढ़–लिखकर घर में बैठे रहेंगे तो अपने मां–बाप पर बोझ बनेंगे और निराश होंगे। इस तरह की अवस्था में यह योजना एक तरह से उनकी सहायता करने का काम करती है ताकि वे अपना पैरों पर खड़ा होकर योजना की तीन साल की अवधि में कुछ न कुछ आगे बढ़ सकें। कहीं नौकरी करनी है तो नौकरी करें, कहीं नौकरी का फार्म भरना है तो नौकरी का फार्म भरें और कहीं अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो सरकारी नौकरी करें। अपना स्वयं का रोजगार करना है तो अपना रोजगार करें या फिर प्राईवेट नौकरी करनी है तो प्राईवेट नौकरी करें। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तीन साल उनको अपना काम तलाशने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से उनको एक सहायता दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति तीन वर्ष में भी अपना काम नहीं प्राप्त कर सकता है तो हम यह मानेंगे कि उसने अपनी योग्यता तो पूरी कर ली है लेकिन उसमें काम करने की कोई रुचि नहीं है। उसके पास डिग्री तो है लेकिन कोई हुनर नहीं है। जिसकी वजह से उसको काम नहीं मिल पा रहा है। फिर उसको छोड़ भी देंगे। यह मात्र एक

सहायता है कोई रोजगार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने तो यह भी कह दिया है कि यदि हमारे पास कोई काम भी नहीं होगा तो जैसे एक कहावत है कि सास जो होती है वह अपनी नई बहू को व्यस्त रखने के लिए कभी–कभी गेहूं और चने को मिक्स कर देती है और अपनी बहू को कहती है कि बेटी इसको अलग–अलग कर दे। यदि बहू ने अलग–अलग कर दिया तो फिर सास उनको मिक्स कर देती है और फिर अपनी बहू को कहती है कि बेटी अलग–अलग कर दे। सास का एक ही मकसद है कि बहू किसी तरह से व्यस्त रहे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन युवकों को 100 घंटे व्यस्त रखेंगे और उनको पैसा देंगे, यही हमारा मकसद है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट किसी युवक की इतनी बड़ी बाधा बन गई है कि वह किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता है तो हम उस युवक को व्यस्त रखेंगे। यह कोई रोजगार नहीं है। उनको सिर्फ सर्वेक्षण करने का काम दिया गया है। अगर किसी के पास कोई काम नहीं है और उसे काम की जरूरत है तो वह 100 घंटे काम करके 9 हजार रुपये लेने जरूर आयेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि कोई युवक आकर चला भी जाता है तो उसकी कोई काम करने की मजबूरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता तो वह काम छोड़कर भी जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिसको 9 हजार रुपये की आवश्यकता है उसको कोई भी छोटा–मोटा काम दिया जायेगा ताकि वह व्यस्त रहे। अध्यक्ष महोदय, जो अपने आप को यह कहता है कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इसलिए पशुओं की गिनती नहीं कर सकता या फिर पेड़ नहीं गिन सकता, यह सही नहीं होगा। यदि उस युवक को पेड़ गिनने का काम दिया गया है तो पेड़ गिनना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हम युवकों को कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। उनको केवल 3 वर्ष के लिए एक सहायता दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे युवक एक विषय यह लेकर आ जाते हैं कि हमको रेगुलर करो। अगर हमें रेगुलर नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे वे करेंगे। हमने कह दिया है कि यह कोई रोजगार नहीं है केवल एक सहायता है, इसमें रेगुलर नहीं हो सकते। जिस समय युवक काम नहीं करेगा उसी समय यह सहायता बंद कर देंगे। इस प्रकार से यह रोजगार वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल रोजगार के लिए एक प्लेटफार्म दिया जा रहा है। इस प्लेटफार्म में कुल 89 हजार एप्लीकेशंज आई हैं, जिसमें से 74 हजार एप्लीकेशंज एप्रूव हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं। उन शर्तों में यह कहा गया है कि इतने लाख रुपये से ज्यादा उसके

परिवार की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। अगर एक परिवार की आय पर्याप्त है तो उसको 9 हजार रुपये प्रति महीने की जरूरत भी नहीं है। यह भी हम मानते हैं। जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसी के लिए यह स्कीम है। अध्यक्ष महोदय, जो एप्लीकेशंज एप्रूव हुई हैं उसमें से 50 हजार एप्लीकेशंज ऐसी हैं जिनको कभी न कभी काम दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज भी 30 हजार लोग काम कर रहे हैं। केवल 13 हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो कहीं न कहीं रेगुलर नौकरी मिलने के कारण छोड़कर चले गए हैं, उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। इस प्रकार से 30 हजार व्यक्ति आज भी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के आठ जिले ऐसे हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ऐसे नहीं हैं जो ये कहे कि मेरे पास काम नहीं है। जीरो पैंडिंग लिस्ट इन जिलों की है। हम चाहते हैं कि सभी जिलों में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट युवकों को काम मिले।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यह सास बहू वाली बात नहीं है। सरकार का और बेरोजगार युवकों का कोई सास बहू का रिश्ता नहीं है। It is a duty and responsibility of the Government to provide the employment to the unemployed youths as per their Education बेरोजगार का सरकार के साथ रिश्ता है। सरकार की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेरोजगारों को रोजगार देने की बनती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी सैप्लीमेंट्री यह है कि 'सक्षम युवा योजना' के तहत उनको रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी में यह बात आ रहा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता समय पर नहीं मिल रहा है। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि जब हम उन युवकों को इतनी ऊंची शिक्षा दे रहे हैं तो उसके हिसाब से उन बेरोजगारों को रोजगार भी मिले।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें जैसे ही उनके 100 घंटे प्रतिमाह के काम के पूरे होने की जानकारी मिलती है वैसे ही हम उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं । अगर कोई 100 घंटे से कम समय तक काम करता है तो उसको उन घंटो के हिसाब से पैसा मिलता है । 100 घंटे प्रतिमाह से ज्यादा किसी से भी काम नहीं लिया जाता है । हमने उनके काम करने की एक सीमा तय की हुई है । उस सीमा को वे चाहें 12 दिन में पूरी करें, चाहें 18 दिन में पूरी करें या फिर 4–4 घंटे करके पूरे महीने में पूरे करें । प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके 100 घंटे पूरे हुए

हों और उसको पैसे न मिले हों । जो व्यक्ति काम करने नहीं आया उसको पैसे नहीं मिलेंगे ।

.....

To Build a Swimming Pool and Synthetic Running Track

***2946. Shri Aseem Goel :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to build a temperature controlled swimming pool and synthetic running track in Rajiv Gandhi Stadium of Ambala City; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नही, श्रीमान् जी ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अम्बाला सिटी के राजीव गांधी स्टेडियम में एक ताप नियंत्रित पूल तथा सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बनाने के लिए 25.05.2016 की एक सी.एम. अनाउंसमैंट है । इसकी फाइल लगभग पौने तीन साल से स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट और एच.एस.वी.पी. के बीच में झूल रही है । अम्बाला में 12 एकड़ जमीन में राजीव गांधी स्पॉर्ट्स स्टेडियम बना हुआ है । आज उस स्टेडियम की हालत बहुत खराब है । उस स्टेडियम को न तो स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट सम्भाल रहा है और न ही एच.एस.वी.पी. सम्भाल रहा है । उसमें आज के दिन एक चौकीदार तक भी तैनात नहीं है । इस स्टेडियम के द्वारा अम्बाला शहर के युवाओं की हैल्थ में सुधार होना है । इसके बावजूद माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का 'ना' में उत्तर दे दिया । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें कोई टैक्नीकल प्रोब्लम है ? मेरा कहना है कि पहले जब राजीव गांधी स्टेडियम में एक ताप नियंत्रित पूल तथा सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बनाने की घोषणा हुई उस समय यह फिजिबल भी था और अप्रूव भी हो गया था । मेरा प्रश्न है कि आज उसको बनाने से मना क्यों किया जा रहा है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि अम्बाला शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में एक ताप नियंत्रित पूल तथा सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन इससे सिर्फ 4–5 किलोमीटर दूर नैशनल हाइवे के दूसरी तरफ अम्बाला कैंट में एक सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बन रहा है और ताप नियंत्रित पूल के आज टैण्डर खुलने की उम्मीद है । अतः केवल 4–5 कि.मी. के दायरे में ये चीजें बन रही हैं, इसलिए अम्बाला शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में एक ताप

नियंत्रित पूल तथा सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बनाना नॉन फिजिबल है और इसीलिए माननीय सदस्य को इसका 'ना' में उत्तर दिया गया है ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना सवाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दोबारा दोहराना चाहता हूं । अम्बाला शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में एक ताप नियंत्रित पूल तथा सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बनाने की घोषणा को पौने तीन साल हो चुके हैं और अम्बाला कैंट की घोषणा को हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं । इसके बावजूद अम्बाला कैंट में ये सारी सुविधाएं देने के लिए टैण्डर भी होने वाले हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अम्बाला शहर से इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए तो अम्बाला शहर भी ऐसा ही है और अम्बाला कैंट भी ऐसा ही है ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला शहर के लिए जो घोषणा हुई उसे पौने तीन साल हो चुके हैं और अम्बाला कैंट के लिए की गई घोषणा को सिर्फ 6 महीने हुए हैं । इसके बावजूद अम्बाला कैंट की घोषणा पर काम शुरू हो चुका है और अम्बाला शहर की घोषणा पर काम शुरू न करके उसे नकारा जा रहा है ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंट को स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिप्रजैंट करते हैं । शायद उन्होंने अपनी घोषणा पर जल्दी काम शुरू करवा लिया होगा ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहता था । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मुझे केवल मेरी घोषणा को पूरी करने के लिए एश्योर कर दें । अम्बाला कैंट में चाहे हमारे स्टेडियम से 10 गुना बढ़ा स्टेडियम बने मुझे इससे कोई एतराज नहीं है । मेरा माननीय मंत्री जी से केवल इतना प्रश्न है कि वे अम्बाला शहर की इस घोषणा पर कब तक काम शुरू करवा देंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं केवल अम्बाला शहर की घोषणा पर विचार करने की बात ही कह सकता हूं ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा से संबंधित यह सवाल मैंने विधान सभा के सत्र में तीसरी बार लगाया है । अगर माननीय मंत्री महोदय अम्बाला शहर में ताप नियंत्रित पूल नहीं बनवा सकते तो कम से कम एक साधारण पूल तो अवश्य बनवा दें ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम अम्बाला शहर में नैक्स्ट फाइनैंशियल ईयर में साधारण पूल बनवा देंगे ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । मेरा कहना है कि मेरे अम्बाला शहर में एक सिंथैटिक रनिंग ट्रैक बनाने की भी घोषणा की गई थी ।

————————

Compensation of Crops Losses

***3032. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Agriculture Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the amount debited from the account of farmers by the Bank of Baroda, Bhatol Jattan branch have not been deposited with Insurance Company in time;

(b) whether it is also a fact that due to said reason farmers have not been compensated of the crop losses; and

(c) if so, the action taken by the Government togetherwith the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, यह मामला पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, यह बैंक ऑफ बड़ौदा, भाटोल जाटान शाखा का मामला है जिसमें 6 गांवों के किसानों का करीब 16 करोड़ रुपये मुआवजा बनता था परन्तु किसानों को यह मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली है। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। इसमें बजाज एलायंज कम्पनी ने बैंक में पैसे जमा करवाने में देरी की है और 26 दिनों के बाद बैंक में पैसे जमा करवाये गये हैं। इस मामले में सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि अगर कम्पनी ने किसानों के मुआवजा का पैसा समय पर जमा नहीं करवाया तो संबंधित कम्पनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, परन्तु सरकार ने कम्पनी के अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय मामले को लटकाए रखा जिसके कारण किसानों को उनके मुआवजे का पैसा नहीं मिला। इसलिए किसानों को मजबूर होकर माननीय कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार संबंधित कम्पनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी ? यह मामला विभाग के संज्ञान में है और माननीय मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी है कि संबंधित

कम्पनी के द्वारा 26 दिन के बाद ही पैसे जमा करवाये हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जिनमें किसानों के खाते के.सी.सी. के माध्यम से खुले हुए हैं। इन खातों में जो पैसा जमा होता है, उसमें से किसानों से बिना पूछे या बिना स्वीकृति के बैंक्स खातों से पैसे काटते रहते हैं। अगर किसानों के खातों से प्रीमियम नहीं काटा गया तो उनको खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा। सिरसा जिले के ओ.बी.सी. बैंक का एक मामला है जिसमें बैंक के द्वारा किसानों के खाते से बिना स्वीकृति के बीमा प्रीमियम नहीं काटे गये। इस प्रकार किसानों का बीमा प्रीमियम जमा न होने के कारण खराब हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला जबकि बैंक्स में किसानों के के.सी.सी. के तहत खाते खुले हुए हैं। बैंक्स के नियम के अनुसार किसानों के खातों में से प्रीमियम काटना जरूरी है। किसानों के खाते से बैंक्स द्वारा प्रीमियम न काटे जाने की वजह से भी किसानों को नुकसान हो रहा है जिसके कारण किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा लेने में दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों बारिश और ओला वृष्टि की वजह से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बारिश और ओला वृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है और पलवल जिले में बवंडर की वजह से जो नुकसान हुआ है, क्या सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी ? क्या संबंधित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा ? इसके अतिरिक्त बवंडर की वजह से जिन लोगों के घर उजड़ गये हैं, जिनके पशु मर गये हैं और जिन परिवारों के लोग हॉस्पिटलाईज्ड हो गये हैं, क्या सरकार उन लोगों की मद्द करेगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी ने 718 किसानों की 1496 हेक्टेयर खराब हुई फसलों का मुआवजा देने का मुद्दा उठाया है। इस मामले में कम्पनीज की बजाय बैंक्स की गलती है। हरियाणा सरकार ने यह मामला केन्द्र सरकार के सामने उठाया गया तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पांस मिला है कि वे किसानों को कम्पनसेशन दिलवाएंगे, परन्तु अभी तक यह मामला निपटा नहीं है। इन बिटविन किसान कोर्ट में चले गये हैं और सरकार ने विभाग को आदेश दिये हैं कि सरकार भी कोर्ट में किसानों के मुआवजा की राशि दिलवाने के पक्ष में पार्टी बनेगी। चूंकि यह लापरवाही बैंक की है। इसमें बैंक ने लापरवाही की है तो उसकी क्षतिपूर्ति बैंक ही करेगा। इसके अतिरिक्त एक विषय और भी अच्छा आया है कि अगर किसानों की मुआवजा राशि के बारे में किसी मामले में ज्यादा डिले हो जाए तो उसके लिए आगे

आने वाले समय में एक फंड रखा जाएगा। इसके लिए किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया गया है। यह प्राधिकरण किसानों के लिए तब चिन्ता करेगा जब कोई मामला 1 साल या 2 साल तक लम्बित हो जाएगा। कम्पनीज तो बड़ी होती हैं और उनको इन्कम/नुकसान भी ज्यादा होता रहता है परन्तु किसान के पास आय के साधन सीमित होते हैं। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि यह किसानों की जायज बात है और किसानों के लिए माननीय न्यायालय में लम्बी लड़ाई चलेगी तो ऐसे मामलों में उन किसानों का माननीय न्यायालय में ज्यादा समय न लगे, इस मामले पर भी सरकार कुछ करे, ऐसा विचार शुरू हुआ है । अध्यक्ष महोदय, ''किसान फसल बीमा योजना'' में किसान बहुत बड़ी संख्या में शामिल होते जा रहे हैं और इस योजना में कवर होकर अच्छी तरह से क्लेम भी लेते जा रहे हैं । अगर मैं यह कहूं कि कितने परिवारों को आज तक यह मुआवजा दिया गया होगा तो कुल मिलाकर 26 लाख 74 हजार किसानों को मुआवजा ''किसान फसल बीमा योजना'' के तहत मिल चुका है । अध्यक्ष महोदय, किसी साल किसानों का यह आंकड़ा 5.50 लाख के करीब पहुंच जाता है और कभी यह आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच जाता है । इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो चाहे वह रबी की फसल के किसान हों या खरीफ की फसल के किसान हों, ''किसान फसल बीमा योजना'' का टोटल ग्रोस नम्बर 26 लाख 74 हजार है यानि अब तक इतने किसानों को मुआवजा मिल चुका है । अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़े हुए लगभग 10 हजार ऐसे मामले हैं, जो कहीं न कहीं उलझे हुए हैं। इसमें से 2053 किसानों के मामले बैंकों में उलझे हुए हैं और 1733 मामले बीमा कम्पनीज़ के साथ उलझे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, 3400 मामले ऐसे हैं जो सुलझा दिए गए हैं। इसमें सिरसा जिले के काफी सारे गांव का एक बड़ा मामला था। अध्यक्ष महोदय, यह बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ष 2017 में खरीफ की फसल के नुकसान का भारत में हाईएस्ट पेड कम्पनसेशन सिरसा जिले को मिला है। सिरसा जिले के किसानों को इतना बड़ा कम्पनसेशन पहले कभी नहीं मिला था। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के किसी दूसरे जिलों के किसानों को इतना बड़ा कम्पनसैशन नहीं मिला है । एक नई बात माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई है कि जिन जिलों में बैंकों ने किसानों का प्रीमियम नहीं काटा है और किसानों ने मना भी नहीं किया था तो वहाँ सरकार क्या करेगी ? यदि किसी दूसरे जिलों के बैंकों में प्रीमियम काटने से किसानों ने मना किया है तो बैंकों को प्रीमियम नहीं काटना चाहिए था इसलिए बैंकों पर भी एक

और मामला बन जायेगा, मैं इस बात की पूरी जानकारी हासिल करूंगा । अध्यक्ष महोदय, जहां तक बवंडर की बात है तो उसके बारे में हमारे रेवेन्यू मंत्री जी हाउस में कह चुके हैं कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान बवंडर आने से हुआ है, उसकी गिरदावरी करवा रहे हैं और सरकार उसकी भरपाई करेगी । अभी हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है और उसकी गिरदावरी करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं । गिरदावरी होने के बाद बीमा कम्पनीज़ किसानों को 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक हिस्सा देती है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी ने कहा और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी इस बात को माना है कि जो बीमा की ऑपरेशनल गाईडलाइंज़ है उसमें क्लीयर कट लिखा है कि Season would be covered compulsorily, this provision shall over-ride any decision taken by F.Is. (Financial Institutions) अगर किसान ने प्रीमियम काटने से मना नहीं किया है तो यह ऑटोमेटिक होता है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि अगर किसानों का अपने आप ही प्रीमियम कटने लग जाये तो फिर किसानों को कोर्ट के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? इसमें स्टेट वे गवर्नमैंट को यह देखना चाहिए कि इस मामले में बैंक की गलती है लेकिन मेरा मानना है कि एक ओ.बी.सी. बैंक की गलती नहीं है, इसके साथ और भी बहुत से बैंक शामिल हैं, जिनका हवाला नेता प्रतिपक्ष ने भी दिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि क्या पूरे हरियाणा प्रदेश के बैंकों की जांच करवाई जायेगी क्योंकि इसमें किसान की किसी प्रकार की कोई गलती पहले से नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो वह अगली फसल कैसे बो सकता है, इसमें किसानों का ही नुकसान होता है? अध्यक्ष महोदय, अगर किसान की कोई गलती पहले से नहीं थी तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह पूछना चाहता हूं कि ''किसान फसल बीमा योजना'' को लागू करते हुए सरकार से या बैंकों के माध्यम से किसानों को मुआवजा दिलवाया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जाकिर हुसैन जी जो कंसर्ड दिखा रहे हैं तो मैंने किसानों के हितों के बारे में पहले ही कह दिया था। मैंने बताया भी था कि 2053 मामले ऐसे आये हैं जो हमारे पास बैंक रिलेटिड हैं और हम इन सभी मामलों को निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । दूसरी बात भी मैंने पहले ही कह दी थी कि

आने वाले समय में किसानों की बेहतरी के प्रयास किए जायेंगे । इस बारे में बैंक के साथ केस निपटाने में साल डेढ़ साल के आस पास का समय लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमें सैंट्रल गवर्नमेंट में कम्पनी के साथ टैक्नीकल कमेटी में जाना पड़ता है इसलिए इन बारीकियों का अध्ययन करने में समय तो अवश्य ही लगेगा और यह बात सभी लोग भलीभांति जानते भी हैं। हम किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करने के बारे में हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में सोच रहे हैं कि कुछ राशि अपने पास रखें। जब किसान के मुआवजे से संबंधित केस निपट जाया करेंगे तो उस जमा राशि में से किसान को मुआवजा दे दिया जायेगा ताकि इस प्रोसैस में किसान को मुआवजा मिलने में देरी न हो और किसान को जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जाये। सरकार को लगता है कि किसानों का यह राईट बनता है। केवल इसमें टैक्नीकली गड़बड़ियां हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, खरीफ 2016–17 की बैंक से संबंधित 714 दिक्कतें हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2017–18 की खरीफ की फसल से संबंधित 1312 दिक्कतें हैं और रबी की फसल से संबंधित 6 हैं। इस प्रकार से 2053 ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें बैंकों के साथ आई हैं और 1733 ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें अलग–अलग बीमा कम्पनीज के साथ आई हैं। हम उन सभी दिक्कतों को निपटाने में लगे हुये हैं।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि कई जगह पर बैंक के कारण दिक्कतें आई हैं और कई जगह पर बीमा कम्पनीज की वजह से दिक्कतें आई हैं। हमारे जीन्द में इस तरह के बहुत से मामले सामने आए हैं। एक मामला तो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसिज कमेटी में श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री दयानन्द, गांव व डा. फतेहगढ़, जिला जीन्द के रुप में सामने आया था। वहां पर मंत्री जी आदेश करके आये थे कि बीमा कम्पनी और बैंक के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज करवाई जाये। उसका 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था और उसका सर्वे भी हुआ था। सर्वे में भी यह बात लिखी गई कि इसका 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है लेकिन गांव का नाम फतेहगढ़ की बजाय नन्दगढ़ लिख दिया गया। चूंकि नन्दगढ़ गांव में कोई नुकसान नहीं हुआ इसी कारण श्री विनोद कुमार को उसका उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। सर, इस मामले में तो स्वयं मंत्री जी आदेश देकर आये थे कि बैंक और बीमा कम्पनी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाये। इस प्रकार के बहुत से मामले हैं। इसमें मुख्य समस्या यह है कि किसान के द्वारा जो फसल बोई जाती है वही गिरदावरी में लिखी जाती है लेकिन बैंक ने जो

सर्वे किया है उसमें कुछ और ही दिखाया गया है। बैंक सर्वे करके गलती कर रहे हैं इसलिए इसमें टैक्नीकल प्रॉब्लम आ रही है। पूरे हरियाणा में यह दिक्कत आ रही है, क्या सरकार इस समस्या की तरफ ध्यान देगी? एक्ट में तो बीमा कम्पनियों के खिलाफ सरकार की तरफ से किसी प्रकार के एक्शन लेने का प्रावधान नहीं है। क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिए कोई ऐसा प्रावधान करेगी कि जो बीमा कम्पनियां किसानों के साथ धोखाधड़ी करेंगी तो उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जा सके?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक ग्रिवैंसिज रिड्रैसल कमेटी है वह जो भी निर्णय करती है वह मान्य है। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं यह बैंक से संबंधित नहीं है बल्कि कम्पनी से संबंधित है क्योंकि बैंक सर्वे करने नहीं जाता है। कम्पनी सर्वे करती है और कम्पनी के साथ हमारा डी.डी.ए. का प्रतिनिधि होता है। इसके साथ ही साथ लोकलाईज क्लेम में अगर 50 एकड़ से कम है तो तहसीलदार साथ होता है और यदि 50 एकड़ से अधिक है तो एस.डी.एम. साथ होता है। बाकी क्लेम क्रॉप कटिंग के होते हैं। उस नाते से अगर वहां कोई दिक्कत होती है तो समाधान की कोशिश होती है। अगर वहां पर एक–दो साल तक समाधान नहीं होता है तो केन्द्र में एक टैक्नीकल कमेटी होती है उसमें जाना होता है। हम भी इसी कोशिश में लगे हुये हैं कि एक इसी प्रकार की कमेटी स्टेट लेवल पर बन जाये। अध्यक्ष महोदय, हमें कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार है लेकिन ब्लैकलिस्ट करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, तब तक बहुत सी चीजें आगे निकल चुकी होती हैं। इसलिए हम इस कोशिश में लगे हुये हैं कि स्टेट लेवल पर एक इस प्रकार की ग्रिवेंसिज रिड्रैसल टैक्निकल कमेटी बन जाये अन्यथा जो केन्द्र की टैक्निकल कमेटी है वह प्रो–फार्मर्स हो कर केसिज को सुनती है। सिरसा तथा भिवानी की सभी समस्याओं का समाधान उस कमेटी ने करवाया है। इन जितने भी केसिज का निपटान हुआ है वह पोजिटिवली हुआ है और उनका निपटान किसान के पक्ष में हुआ है कम्पनियों के पक्ष में नहीं हुआ है। इसी के तहत किसानों को अब तक की फसलों का 1140 करोड़ रुपये का क्लेम मिल चुका है। जबकि फार्मर्स की तरफ से केवल 406 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा करवाया गया है। इस प्रकार से यह योजना किसानों के लिए बेहतर साबित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि 24,74,000 शिकायतों की तुलना में यह जो

समस्याग्रस्त विषय है यह केवल 6000 के आसपास का है तथा हम उसके समाधान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।

————————

श्रीमती संतोष चौहान सारवानः अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या 2985 को पूछने के लिए श्रीमती प्रेमलता जी ने मुझे अथॉराइज किया है, यदि आपकी सहमति हो तो क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकती हूं?

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकती हैं।

Quantity of Rotted Food Grains

**** *2985. Smt Prem Lata : Will the Minister of state for Food and Supplies be pleased to state-**

(a) the quantity of food grains rotted in Government godowns from April, 2014 to March, 2018 together the reasons thereof: and

(b) the action taken against responsible officers togetherwith the steps taken by the Government to prevent food grains from rotting?

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्णदेव कम्बोज) : महोदय,

(क) अप्रैल, 2014 से मार्च, 2018 के दौरान सड़े/खराब हुए गेहूँ की मात्रा निम्न प्रकार से है:–

विवरण	फसल वर्ष	खराब हुई मात्रा मीट्रिक टन में	गेहूँ खराब होने के कारण
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2014–15	3799.75	स्टाफ की लापरवाही
हरियाणा राज्य सहकारी वितरण एवं विपणन परिसंघ लिमिटेड (हैफेड)	2014–15	0.18	स्टाफ की लापरवाही
वर्ष 2015–16 के दौरान खराब हुए स्टॉक	2015–16	शून्य	कोई स्टॉक खराब नहीं हुआ।
हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच0डब्लयू0सी0)	2016–17	530.50	गोदाम में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण
वर्ष 2017–18 के दौरान खराब हुए स्टॉक	2017–18	शून्य	कोई स्टॉक खराब नहीं हुआ।
कुल मात्रा		**4330.43**	

(ख) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध हरियाणा नागरिक सेवाएं (दण्ड़ एवं अपील) नियम, 2016 के नियम–7 के तहत आरोपित करते हुए सख्त अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई है। श्री हरजीत सिंह संधु

****Asked by Smt. Santosh Chauhan Sarwan**

सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी, श्री सतीश सेतिया सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी, श्री राम निवास, निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्री ईश्वर सिंह, निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्री धर्मपाल उप–निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा श्री विनोद सैनी मुख्य विश्लेषक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विरुद्ध कुरुक्षेत्र जिले के इस्माईलाबाद थाना में अपराधिक प्राथमिक रिपोर्ट नं0 156 दिनांक 10.11.2015 भारतीय दण्ड सहिता के अनुभाग 409, 420, 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अनुभाग 13(1)(सी) के तहत दर्ज करवाई गई।

इसी प्रकार हरियाणा राज्य सहकारी वितरण एवं विपणन परिसंघ लिमिटेड (हैफेड) द्वारा वर्ष 2014–15 में खराब हुए गेहूँ के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब अक्तूबर, 2014 में हमारी सरकार बनी थी तो हमें पता चला था कि कुछ लोग मिलीभगत करके हमारे गोदामों में अनाज खराब कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में अनाज खराब भी हुआ है। वर्ष 2014–15 में 3799.75 मीट्रिक टन अनाज खराब हुआ था। मैं बताना चाहूंगा कि यह लगभग सारी की सारी टर्म कांग्रेस सरकार के समय की है। यह सारा अनाज कांग्रेस के शासनकाल में खराब हुआ है। उसके बाद वर्ष 2015–16 में कोई अनाज खराब नहीं हुआ लेकिन वर्ष 2016–17 में केवल 530 मीट्रिक टन अनाज खराब हुआ है और वह भी केवल यमुनानगर जिले में बाढ़ आने की वजह से खराब हुआ है। इसके अलावा हमारी सरकार के दौरान एक भी दाना अनाज का हमने खराब नहीं होने दिया है। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्व की सरकारों में जितना अनाज खराब होता रहा है वे आंकड़े भी सदन के समक्ष रखे गये हैं। हमारी सरकार के आंकड़े भी मैं इस महान सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वर्ष 2014–15 में हैफ़ेड की प्रोक्योरमैंट के दौरान केवल मात्र .18 मीट्रिक टन अनाज खराब हुआ था। वर्ष 2015–16 में 0 प्रतिशत अनाज खराब हुआ है यानि कोई स्टॉक खराब नहीं हुआ। इसी प्रकार से वर्ष 2016–17 में बाढ़ के कारण 530.50 मीट्रिक टन अनाज बाढ़ के कारण खराब हुआ है तथा वर्ष 2017–18 में भी कोई अनाज खराब नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 4330.43 मीट्रिक टन अनाज वर्ष 2014–15 से लेकर वर्ष 2017–18 तक खराब हुआ है। इसमें जिनकी वजह से यह अनाज खराब हुआ था उसकी इन्कवायरी करवाई गई तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध हरियाणा नागरिक सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम–7 के तहत आरोपित करते हुए सख्त अनुशासनिक

कार्यवाही आरम्भ की गई है। उनके खिलाफ हमने इसमाइलाबाद थाने में एक अपराधिक प्राथमिक रिपोर्ट नं. 156 दिनांक 10.11.2015 भारतीय दण्ड संहिता के अनुभाग 409, 420, 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अनुभाग 13(1)(सी) के तहत दर्ज करवाई गई। इस केस में जितने भी अधिकारी/कर्मचारी हैं उन्होंने इस एफ.आई.आर. को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर की हुई है। मई के महीने की उसकी तारीख लगी हुई है। माननीय कोर्ट से जो भी फैसला आयेगा उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जायेगी। इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित थे उनमें एक डी.एफ.एस.ओ. श्री विरेन्द्र सिंह, दो ए.एफ.एस.ओ. श्री हरजीत सिंह संधु तथा श्री सतीश सेतिया, दो इंस्पैक्टर श्री राम निवास तथा श्री ईश्वर सिंह, दो सब–इंस्पैक्टर श्री धर्मपाल तथा श्री कुमार गौरव हैं। इन सभी के खिलाफ चार्जशीट जारी की हुई है तथा एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा माननीय सदस्या ने यह भी पूछा है कि अनाज के रख–रखाव के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं तथा हमारे पास कितनी स्टॉक कैपेसिटी है। इस बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पास 89.22 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी के कवर्ड गोदाम हैं तथा 29.97 लाख मीट्रिक टन हम ओपन प्लिंथ के माध्यम से अनाज स्टोर करते हैं। इस प्रकार कुल 119.19 लाख मीट्रिक टन की हमारी स्टोरेज कैपेस्टी है। हमारा अनाज सुरक्षित रहे तथा ज्यादा से ज्यादा अनाज का हम भण्डारण कर सकें इसके लिए केन्द्र सरकार की एक स्कीम के तहत स्टील साइलॉज भी हम हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। उसमें से 3 लाख मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेस्टी के लिए एफ.सी.आई. की तरफ से काम शुरू हो चुका है तथा जो साढ़े छः लाख मीट्रिक टन के स्टील साइलॉज बनाने हैं उसकी केन्द्र सरकार से अनुमति मिलते ही काम शुरू हो जायेगा। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हमने टैंडर के पूरे दस्तावेज तैयार करवा रखे हैं।

श्रीमती संतोष चौहान सारवानः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

————————

To Construct Four Lane Road

*__3033. Shri Naseem Ahmed :__ Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the

Government to construct a four lane road from Nuh Town to Rajasthan border; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब सदन के पटल पर रखा है उसमें तो नहीं श्रीमान् जी कहा गया है । लेकिन मेरे खड़े होने से पहले बहन सीमा त्रिखा जी ने कहा कि आज सुबह से भाई सभी को मना कर रहे हैं । मैंने कहा अगला जवाब मैं गुड़ में लपेट कर दूंगा जो सबको पसंद आएगा । अभी दो–तीन दिन पहले भाई नसीम जी ने नूंह से राजस्थान बॉडर तक रोड को फॉर लेन करने की मांग की है । जिसका 14 अगस्त, 2017 को माननीय गडकरी जी गुरूग्राम से सोहना तक फॉर लेन करने का शिलान्यास करके गए थे । उस दिन मैंने उनसे मांग की थी कि इस रोड को अलवर की सीमा तक फॉर लेन तक बनाया जाए। उसके लिए वह 'हां' कह कर गए हैं लेकिन बीच में यह हुआ कि एक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस–वे सोहना से मुम्बई के लिए वाया नूंह–फिरोजपुर झिरका–अलवर होकर निकला है । वह फॉर लेन एक्सप्रैस–वे है इसलिए एन.एच.ए.आई. ने सोचा कि जब एक एक्सप्रैस–वे पैरेलल बन रहा है तो फिर इस रोड को हम फॉर लेन नहीं करते । दो–तीन दिन पहले मैंने भाई नसीम की एक सप्लीमैंट्री में इसका जवाब भी दिया था कि हमारी यह कोशिश है कि इस रोड को भी फॉर लेन बनाया जाए । मैंने इनको कहा था कि इस रोड के बारे में मैं खुद गडकरी जी से मिलकर इसको फॉर लेन करवाने की कोशिश करूंगा । आज सुबह ही इस संबंध में मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं तथा भाई नसीम जी को आश्वस्त करता हूं कि सदन खत्म होने के बाद जब यह सैशन समाप्त होगा तो उसके 5–7 दिन के बाद जैसे ही हमारी गडकरी जी से मुलाकात होगी तो उनके सामने हम इस रोड की बात उठाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस रोड को भी फॉर लेन बनवाया जाए ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें हमारी तसल्ली तो कम हुई है लेकिन फिर भी मंत्री जी कह रहे हैं तो उससे हमें संतुष्टि जरूर हुई है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में बी.जे.पी. की सरकार ने टाईटल दिया था कि इस 248–ए रोड को नैशनल हाई–वे अथोरिटी में लिया जाए । सर, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि यह रोड हमारे मेवात के लिए लाइफ लाईन है क्योंकि मेवात के लिए और कोई रास्ता नहीं है । अगर मेवात और फिरोजपुर झिरका के लिए जाना है तो उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है । सर, यह सड़क इतनी व्यस्त रहती है कि अगर हम

आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2013 से सितम्बर, 2018 तक इस रोड पर 1060 आदमियों की मौत हो चुकी है । इस रोड पर जो हादसे हुए हैं उनमें 2500 से लेकर 2800 एक्सीडैंट हुए हैं । जिसमें 2398 व्यक्तियों को कहीं चोट आई है, कहीं दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। सर, इस रोड पर दुर्घटनाओं में एक बार में 12–12 आदमी मरे हैं ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग एक–एक जीप पर 40–40 आदमी बैठ कर जाते हैं इसलिए भी उस पर ज्यादा एक्सीडैंट होते हैं ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, अगर आप वहां यह मानते हैं कि वहां सवारियों की इतनी दिक्कत है तो आप वहां बस चलवाने का काम कीजिए । आप मेवात के लोगों के लिए साधन मुहैया करवाईये । स्पीकर सर, इस सड़क पर हमारे यहां हर रोज कहीं न कहीं कोई दुर्घटना होती रहती है और जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे व लोग हर रोज मर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा तो सरकार से यह अनुरोध है कि इस सडक को तुरन्त बनवाया जाए क्योंकि जिस ऐलिवेटिड रोड की मंत्री जी ने बात की है वह तो के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे से सीधा फिरोजपुर झिरका उतरेगा । उसके बीच में उस पर कहीं कोई कट नहीं है । उसके अलावा मेवात में आने–जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है । सिर्फ 248–ए रोड ही एक मात्र ऐसा रोड है जो मेवात के लोगों को जोड़ेगा । स्पीकर सर, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यहां कांग्रेस पार्टी के लोग भी बैठे हैं उसमें जितनी आज सरकार जिम्मेदार है उतने ही यह कांग्रेस पार्टी के लोग भी जिम्मेदार हैं । सर, 3 जून 2008 में माननीय केन्द्रीय मंत्री जे.पी. रेड्डी जी वहां पर इस रोड का उद्घाटन करने के लिए आए थे और उस समय इस रोड को फॉर लेन करने की मंजूरी मिली थी लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी थे और उन्होंने जानबूझकर उसको नूंह से आगे सिंगल रोड बनवा दिया था ताकि मेवात के लोग मरें और मेवात के लोगों की आबादी खत्म हो ? सर, आप हमारे कस्टोडियन हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आप इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं ताकि जो मेवात के लोग हैं जिनकी इस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे बचा जा सके । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, उस समय हमारी सरकार ने मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : बहन जी, मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड आपकी सरकार ने नहीं बनाया है वह तो वर्ष 1980 में बन गया था ।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो मेवात में मैडिकल कॉलेज भी बनवाया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मेरा मेवात क्षेत्र में रेलवे लाईन बिछाने संबंधी विषय का एक प्रश्न लगा था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने जवाब दिया था कि कांग्रेस के राज में इस प्रोजेक्ट के लिए कोई जमीन नहीं दी गई थी इसलिए मेवात क्षेत्र में रेलवे लाईन नहीं बिछाई जा सकी और कांग्रेस राज में की गई यह घोषणा झूठी रही। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में कांग्रेस के समय में लगाए गए एक फाउंडेशन स्टोन के पत्थर की फोटो प्रति है जिसमें अगर आप देखें तो पायेंगे कि यह फाउंडेशन स्टोन 3 नवम्बर, 2008 को रखा गया था। इस पर लिखा हुआ था कि– Foundation Stone of four lanning/ widening/ strengthening of Gurgaon-Nuh-Rajasthan Boarder Road (SH-13) laid by Shri Jaipal Reddy, Hon'ble Union Minister for Urban Development. सर इस फाउंडेशन स्टोन में तो और कितने ही मंत्रियों के नाम दिखाये गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह फाउंडेशन स्टोन झूठा था या सच्चा था और अगर यह सच्चा था तो फिर यह काम क्यों नहीं हुआ? इसके अतिरिक्त जहां तक एलिवेटिड हाईवे की बात है, यह एलिवेटिड हाइवे ऐसा है जिस पर से कोई उतर नहीं सकता क्योंकि यह सुपर एक्सप्रैस हाइवे है जिसमें सिर्फ एक कट का प्रावधान किया गया है। यह कट आनन्द नामक जगह के पास है। इस ऐलिवेटिड हाईवे को अहमदाबाद से बढ़ोदरा तक बने सुपर एक्सप्रैस हाईवे की तर्ज पर बनाया गया है लेकिन मेवात को इस हाईवे का कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नूंह से अलवर तक की जो सड़क है इसका निर्माण ब्रिटिश टाईम में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क की फोर लेनिंग का कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाये। (विघ्न)

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कंबोज): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 और वर्ष 2013 में तत्कालीन सरकार द्वारा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो बहुत बड़ी संख्या में पत्थर लगाये गये थे। इनकी जांच करानी चाहिए। (विघ्न)

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक के कांग्रेस के कार्यकाल में इतने पत्थर लगाए गए थे कि इनसे 20 टायर वाली एल.पी. तक भर जायेगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, यह पत्थर आज भी अनाज मंडी में लगा हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो बिना मतलब के पत्थर लगाये गए थे इनकी जांच की जानी चाहिए और दोषियों को सजा भी दी जानी चाहिए। इन लोगों द्वारा मेवात में फर्जी रेलवे लाईन बिछाने की बात कही गई और फर्जी फोर लेनिंग करने के फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषित 115 अति पिछड़े जिलों की लिस्ट में मेवात क्षेत्र भी शामिल है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है लेकिन बावजूद इसके भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को फोलो नहीं किया जा रहा है। यही नहीं गवर्नर साहब के अभिभाषण में भी न तो मेवात फीडर कैनाल का जिक्र किया गया है न ही मेवात क्षेत्र में किसी नए इंस्टीट्यूट को स्थापित करने का जिक्र किया गया है। ऐसा करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा शासित सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी की नीतियों की भी अवहेलना करते हुए, मेवात क्षेत्र के साथ अन्याय किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण नूंह से अलवर तक की सड़क के फोर लेनिंग करने के कार्य को सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस सड़क को फोर लेनिंग किया जाए।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन काल में तो लाखन माजरा में भी एयरपोर्ट खोलने की झूठी घोषणा की गई थी। (विघ्न)

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो नूंह से अलवर तक की सड़क के फोर लेनिंग की बात की जा रही है यह नैशनल हाईवे के क्षेत्राधिकार में आता है और इसी वजह से मैंने लोक निर्माण मंत्री की हैसियत से इनको आश्वस्त किया है कि मैं इस हाईवे को बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से माननीय सदस्य को इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह नैशनल हाइवे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक हिदायतें दी हैं, उन सबमें सरकार ने एक हिदायत तो मानी है कि

हमारे यहां नौजवान डी.सी. लगा दिया, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की कोई भी हिदायत मेवात क्षेत्र में लागू नहीं हुई है। अतः एक बार फिर अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि नूंह से अलवर तक की सड़क के फोर लेनिंग करने के कार्य को मंजूर करते हुए जल्द से जल्द पूरा किया जाये।

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, भाई जाकिर और नसीम अहमद, ये दोनों मेवात जिला के एम.एल.ए. हैं। इन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन की फोटो उतार कर सदन में दिखाई है, मैं उस के परिपेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि दो बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री और एक बार कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी बड़कली चौक पर जनसभा करके यह घोषणा करके आए थे कि बड़कली से तिजारा तक राजमार्ग बनायेंगे लेकिन यह राजमार्ग कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया बल्कि हमारी बी.जे.पी. की सरकार ने इस राजमार्ग को बनाने का काम किया। जैसा कि इन सदस्यों द्वारा कहा गया है कि नूंह से अलवर तक की सड़क को फोर लेनिंग बनाया जाए, के संदर्भ में मैंने इन लोगों को कहा कि नैशनल हाइवे बनाने का काम हरियाणा पी. डब्ल्यू.डी.(बी.एंड.आर) के पास नहीं है चूंकि यह नैशनल हाइवे का मसला है इसलिए मैंने इनको आज सुबह कहा कि मैं और मुख्यमंत्री जी सदन खत्म होने के बाद गड़करी जी मिलने जायेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस हाईवे को फोर–लेनिंग बनाया जाये। इससे ज्यादा मैं कुछ और आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, अगर सैंट्रल गवर्नमैंट इस सड़क को नहीं बना रही है तो हरियाणा सरकार इसको बना दे?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाईवे को हरियाणा सरकार बना ही नहीं सकती।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, नोगांवा बॉर्डर से अलवर तक भी सिंगल रोड है जोकि हाईवे की श्रेणी में आता है। जब राजस्थान सरकार ऐसा कर सकती है तो तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती?

श्री अध्यक्षः नसीम जी, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, जब नैशनल हाइवे बनाने का काम सैंट्रल गवर्नमैंट के अधीन है तो स्टेट किस प्रकार से आश्वासन दे सकता है?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल का समय पूरा होने वाला है मैं नसीम भाई से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इस सड़क के अलावा दूसरी सड़कों के मामले में तसल्ली है।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, राव नरबीर जी अच्छे आदमी हैं। इनके लिए काम करना ही सब कुछ है लेकिन जिस सड़क की बात हम कर रहे हैं हमारे लिए इस सड़क को बनाने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। निवेदन है कि इस सड़क को जल्द से जल्द फोर लेनिंग करने का काम किया जाये।

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब हमारे भाई को अन्य सड़कों की तसल्ली है तो इन्हें इस सड़क की भी तसल्ली रखनी चाहिए। मैं अपने छोटे भाई नसीम को आश्वस्त करता हूँ कि इस सड़क को बनवायें और मैं अपनी पूरी कोशिश इस काम को कराने के लिए करूंगा।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने कह दिया है कि वे इस सड़क को बनायेंगे तो अब हम सदन से वाक आउट भी नहीं करते हैं लेकिन अगर वह आश्वासन नहीं देते तो हम फिर वाक आउट करते।

————————

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

————————

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Provide Employment

***3037. Shri Jasbir Singh :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state the steps taken by the Government to provide employment to the local youths in the industries in the state?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : श्रीमान्।

1. भूमि आवंटन करते समय, हरियाणा वासियों को रोजगार देने के लिए आवंटन समझौते में एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा एक खंड शामिल किया है कि यूनिट स्थापित करते समय जहां तक संभव हो, 75 प्रतिशत गैर–कुशल श्रमिकों को

रोजगार देगा और इकाई में हरियाणा वासियों को अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों से प्राथमिकता दी जाएगी।

2. इसके अलावा, राज्य सरकार रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यम पदोन्नति नीति (Enterprises Promotion Policy-2015) के तहत, उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों में रोजगार सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें हरियाणा में रहने वाले व्यक्तियों को प्राईवेट इन्डस्ट्रीज में रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

.....

To Lay Down Sewerage System

***3041. Smt Naina Singh Chautala :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down new sewerage system in the Dabwali City; if so, the details thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a water treatment plant in the Dabwali City; if so, the time by which it is likely to be set up ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : (क) और (ख) नही, श्रीमान् जी।

.....

Construction of Stadium

***2931**. **Shri Ved Narang :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Stadium in Millgate area of Hisar in Barwala Constituency; if so, the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान् जी, नहीं।

.....

To Construct Veterinary Hospital

***2955. Shri Balkaur Singh :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct veterinary hospital in

village Darbi and Lahengewala of Kalanwali Assembly Constituency; if so, the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, गांव दड़बी में राजकीय पशु औषधालय के भवन का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है तथा गांव लहंगेवाला में राजकीय पशु औषधालय का कार्य जल्द ही आरम्भ किया जायेगा।

.....

Construction of New Building of ITI

***2950. Shri Prithi Singh :** Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the building for ITI in Narwana City is not sufficient; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new building for the above said ITI together with the details thereof?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। नरवाना शहर में आई.टी.आई. के लिए भवन पर्याप्त है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Teachers Retired from Government Colleges

***3003. Shri Ravinder Singh Baliala :** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the number of teachers retired from Government Colleges in State during the last two years;

(b) the details of teachers who have been posted on deputation in the Government Colleges in State during the last one year;

(c) the details of teachers whose deputation have been cancelled during the last one year togetherwith the criteria adopted for the said deputation/cancellation of deputation;and

(d) the number of times the lists of the deputations have been cancelled during the last one year ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान् जी,

(क) पिछले दो वर्षो के दौरान राज्य के राजकीय महाविद्यालयों से 117 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य के राजकीय महाविद्यालयों के 1085 सहायक/एसोसिएट प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां की गई है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान 395 सहायक/सह–प्राध्यापक के प्रतिनियुक्ति आदेश रद्द् किए गए हैं। प्रतिनियुक्ति हेतू अपनाए गए मानदंडों में कर्मचारियों की कमी, चिकित्सा आधार, युगल मामले और अन्य प्रशासनिक आधार शामिल हैं।

(घ) प्रतिनियुक्ति की पूर्ण सूची एक बार रद्द् की गई थी।

————————

To Supply Canal Water for Drinking

***2978. Shri Ram Chand Kamboj :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply canal water for drinking in Rania City; if so, the time by which it is likely to be supplied?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : हां, श्रीमान् जी। भूमि अधिग्रहण के बाद ही समय की प्रतिबद्धता निर्धारित की जा सकती है।

.....

To Set Up Mechanical and Drainage Division

***2866. Shri Parminder Singh Dhull:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up mechanical and drainage division of Irrigation Department in District Jind; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी, जीन्द में मैकेनिकल डिवीजन स्थापित करने के बारे में उपायुक्त जीन्द से सुझाव प्राप्त हुआ है जिस पर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है ।

.....

To Renovate the Rest Houses

***2888. Shri Kehar Singh** : Will the PW(B&R) Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the rest houses of Hathin and Mandkola in Hathin Constituency; and

(b) if so the time by which the above said rest houses are likely to be renovated togetherwith the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : क एवं ख नहीं श्रीमान् जी।

.....

Action Against fake Companies

***2962. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Excise and Taxation Minister be pleased to state whether it is a fact that the Government has detected fake Companies in Cotton trade, who are evading GST during the year 2018-19; if so, the details thereof together with the actions taken by the Government against above said fake companies?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : महोदय, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

माल एवं सेवा कर का कार्यान्वयन देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है, जो कि 'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर' की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। यह सभी कंपनियों / डीलरों को ऑनलाइन रिटर्न भरने के माध्यम से पूरे देश में 'आईटीसी' का लाभ लेने की सुविधा प्रदान करता है। कुछ असामाजिक तत्व, देश के विभिन्न हिस्सों में फर्जी फर्मों को पंजीकृत करके और माल की वास्तविक आपूर्ति किये बिना, एक फर्म से दूसरे फर्म में फर्जी बिल जारी करके, कर का नाजायज लाभ प्राप्त करने हेतु इस सुविधा का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं।

2. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रवर्तन टीमों ने ऐसी फर्जी फर्मों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। हाल ही में जनवरी, 2019 के महीने

में राज्य के आबकारी व कराधान विभाग ने ऐसे फर्जी डीलरों के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज की हैं जिनमें से 17 एफ.आई.आर कपास व्यापारियों से संबंधित हैं। इन सभी एफ.आई.आर को हरियाणा पुलिस की अपराध शाखा को गहनता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, ऐसे डीलरों द्वारा किए गए लेन–देन का वास्तविक प्रयोगकर्ता तक अनुसंधान किया गया और जिन डीलरों ने इन फर्जी फर्मों से फर्जी आईटीसी का लाभ लिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। इन डीलरों के आई.टी.सी. को रुपये 49.77 करोड़ की राशि के लिए अवरुद्ध कर दिया गया है और 5.29 करोड़ रुपये की राशि भी उनसे आई.टी.सी. के रिवर्सल या वसूली द्वारा भरपाई कर ली गई है।

3. इसके अलावा, भारत सरकार के जीएसटी प्रवर्तन अधिकारियों ने भी हरियाणा राज्य में 57 फर्जी फर्मों की पहचान की है, जिसमें कॉटन यार्न में काम करने वाली 11 फर्में भी शामिल हैं और उन्होंने इन फर्जी फर्मों से 12.72 करोड़ रुपये की वसूली की है।

————————

To Re-Open the Bhuna Sugar Mill

***2907. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to re-open Bhuna Sugar Mill; if so, the time by which it is likely to be re-opened?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : श्रीमान् जी, इस मिल को सहकारी क्षेत्र में चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

.....

Bad Condition of Drainage System

***2897. Shri Makhan Lal Singla :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that water accumulates in Sirsa City during rainy season; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide proper drainage system in Sirsa City togetherwith the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) सरकार द्वारा अमृत परियोजना के तहत बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए 8.13 करोड़ रूपये की लागत की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। ठेकेदार को कार्यादेश दिनांक 07.09.2018 को जारी किया गया है। ठेकेदार द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। दिनांक 31.10.2019 तक कार्य के पूरा होने की सम्भावना है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Supply of Water Upto Tail

782. Smt Kiran Choudhry: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply irrigation water upto tail in canals in Bhiwani and Mohindergarh district; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान् जी । भिवानी और महेन्द्रगढ़ सहित दक्षिण हरियाणा में नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई के पानी की आपूर्ति को इस सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । हालांकि, कई दशकों पहले इन क्षेत्रों में नहरों का व्यापक जाल बिछाया गया था, लेकिन अभावग्रस्त दृष्टिकोण के साथ–साथ कुछ प्रणालीगत अवरोधों के कारण अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच सका । परिस्थिति को पुनः ठीक करने के लिए, मरम्मत, पुनर्वास, आंतरिक सफाई, गाद निकालने और हथनी कुण्ड बैराज से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित अंतिम छोर तक विभिन्न चैनलों की क्षमता बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की गई थी । इसके साथ ही, खराब हुए पम्पों, मोटरों तथा नियंत्रण पट्टियों (कंट्रोल पैनलों) की मरम्मत/बदलने तथा पम्प हाउसों की विद्युत आपूर्ति प्रबंधन का पुर्नोद्धार भी किया गया । परिणामस्वरूप, वर्ष 2016 से इन जिलों को पानी आपूर्ति करने वाली जेएलएन फीडर में पानी की आपूर्ति 60 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई

है तथा लगभग सभी अंतिम छोरों तक अब पानी पहुंचाया जा रहा है । ये प्रयास पूरे जोश तथा प्रतिबद्धता के साथ आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे ।

.....

To Open an ITI

783. Shri Jasbir Singh : Will the Skill Development & Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Industrial Training Institute in sub-tehsil Pillukhera, if so, the details thereof **?**

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : नहीं, श्रीमान् जी, पिल्लूखेड़ा सब तहसील में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Levying the Stamp Duty By Banks

779. Shri Karan Singh Dalal : Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether any complaint/representation has been received by the Government during October to December, 2018 regarding levying of stamp duty of Rs. 2000/- by the banks on agriculture loans; and

(b) if so, the action taken by the Government ?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां श्रीमान् जी। मामला सरकार के विचाराधीन है।

.....

To Lay Down the Pipe Line

755. Shri Ved Narang : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down the drinking water supply pipe line and sewerage system in new Rajeev Nagar and Shyam Nagar of Millgate area of Barwala Constituency; if so, the details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ बनवारी लाल) :नहीं श्रीमान् जी, मिलगेट क्षेत्र के न्यू राजीव नगर और श्याम नगर मे पेयजल आपूर्ति लाईन बिछाने एवम्

सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र गैर अनुमोदित कालोनियां हैं।

.....

Replacement of Obsolete Electricity Wires

743. Shri Pirthi Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that electricity wires are in very bad condition in all the villages of Narwana Assembly Constituency; If so, the time by which these are likely to be replaced ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी नहीं।

.....

To Construct Four Lane Road

772. Shri Ravinder Baliala : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct four lane road from Fatehabad to Ratia (upto Punjab Border); if so, the time by which abovesaid road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Provide a Fire Brigade Vehicle

784. Shri Jasbir Singh : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide a fire brigade vehicle in Pillu Khera Market Committee; if so, the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Amount of Subsidy

778. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Year wise amount of subsidy paid by the Government to the Power Department in lieu of subsidized power supply to Agriculture Tube well/ Pumpsets during the period from the year 2010-11 to 2018-19;

(b) district wise and year wise numbers of agriculture tubewell/ pumpsets in the State during the period from the 2010-11 to 2018-19; and

(c) the formula/basis on which the power subsidy in point no. (a) above is calculated ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान्,

(क)वर्ष 2010–11 से 2018–19 की अवधि के दौरान कृषि नलकूपों/पम्पसैटों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति के बदले सरकार द्वारा बिजली विभाग (हरियाणा डिस्कॉम्स) को वर्षवार अदा की गई सब्सिडी की राशि निम्न प्रकार है–

वर्ष	(रूपए करोड़ों में)
	राशि
2010–2011	2,952.89
2011–2012	3,576.58
2012–2013	5,129.13
2013–2014	5,200.00
2014–2015	5,234.63
2015–2016	6,323.35
2016–2017	6,608.86
2017–2018	7,600.00
2018–2019 (15.02.2019 तक)	5,398.65
कुल	**48,024.09**

(ख) वर्ष 2010–11 से 2018–19 की अवधि के दौरान कृषि नलकूप/पम्पसैट कनैक्शनों की जिला वार तथा वर्ष वार संख्या निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	सर्कल का नाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिसम्बर 18 को समाप्त)
1	अम्बाला	18564	18906	19212	19783	20017	20261	20490	20813	20916
2	झज्जर	8066	8290	8596	9618	10043	10163	10405	10711	10834
3	जींद	35122	37181	35221	0	0	0	0	0	0
4	कुरूक्षेत्र	39232	39749	40384	40860	41212	41494	41627	41754	41779
5	करनाल	65447	67213	67634	69463	71128	71233	71608	72156	72792

6	पानीपत	28926	29583	30508	31320	32091	32106	32712	33058	33245
7	रोहतक	4165	4502	4807	5264	5905	6085	6323	6523	6564
8	सोनीपत	23469	24943	25767	27205	29337	30567	31419	32500	32815
9	कैथल	43061	44048	50033	49725	51910	52768	54121	54546	56551
10	यमुनानगर	37855	38562	39741	40989	43132	43546	44301	44941	45298
उहबिविनि		**303907**	**312977**	**321903**	**294227**	**304775**	**308223**	**313006**	**317002**	**320794**

क्र. सं.	सर्कल का नाम	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिस. 18 को समाप्त)
1	फरीदाबाद	18846	18941	19624	8362	8732	8761	8911	8971	9094
2	पलवल	–	–	–	21820	22755	23240	23686	16512	16727
3	भिवानी	29003	32541	36372	39053	40995	41672	42313	43154	43356
4	सिरसा	40320	44461	48261	50861	53036	53704	55337	56276	58225
5	गुरूग्राम–I	28765	28740	28956	20301	20540	20612	20595	18359	18133
6	गुरूग्राम–II								9601	9605
7	हिसार	44007	46079	47969	50530	52503	53453	54418	18177	18320
8	फतेहाबाद								37495	37908
9	जीन्द	–	–	–	37703	40075	40527	41393	42300	42969
10	नारनौल	55543	56667	29572	30249	30501	31134	31459	31958	31959
11	रेवाड़ी	–	–	28724	29499	29885	30097	30453	30682	30910
दहबिविनि		**216484**	**227429**	**239478**	**288378**	**299022**	**303200**	**308565**	**313485**	**317206**
उहबिविनि+ दहबिविनि		**520391**	**540406**	**561381**	**582605**	**603797**	**611423**	**621571**	**630487**	**638000**

(ग) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिए गए वर्ष में कृषि नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा अनुमानित बिजली खपत के आधार पर कृषि नलकूप उपभोक्ताओं के लिए लागू रियायती टैरिफ के कारण हरियाणा डिस्कॉम के लिए बिजली सब्सिडी की गणना की जाती है। एपी उपभोक्ताओं के लिए लागू स्वीकृत टैरिफ तथा रियायती टैरिफ पर राजस्व के बीच अन्तर के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी का आंकलन किया जाता है।

To Lay Down Sewerage System

754. Shri Ved Narang : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state the names of villages in which the sewerage system is proposed to be laid down by the Government in the state togetherwith the details thereof?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) : श्री मान जी, इस संदर्भ में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है।

वक्तव्य

सीवरेज प्रणाली बिछाने के लिए चयनित 128 गांवों की चरणवार सूची विवरण सहित निम्नानुसार है :-

सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए चयनित गांवों की सूची :-

चरण 1 :- चरण 1 के अंतर्गत चयनित 20 गांवों की सूची व्यवहार्यता स्थिति के साथ निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	जिला	ब्लाक	गांव	कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	ग्राम पंचायत	सीवरेज बिछाने के संबंध में व्यवहार्यता स्थिति	टिप्पणी
1	गुरूग्राम	मानेसर	मानेसर (CT)	93158	मानेसर	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
2	गुरूग्राम	मानेसर	नाहरपुर कासन	9994	नाहरपुर कासन	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
3	कैथल	सीवन	सीवन (77)	23882	सीवन	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
4	कैथल	कैथल	क्योड़क (33)	14051	क्योंड़क	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
5	करनाल	करनाल	काच्छवा (11)	10141	काच्छवा	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
6	यमुनानगर	सढ़ौरा	सढ़ौरा (CT)	14818	सढ़ौरा	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
7	यमुनानगर	मुस्तफाबाद	मुस्तफाबाद (CT)	9042	मुस्तफाबाद	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
8	कैथल	पुन्डरी	पाई (48)	18148	पाई	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
9	फरीदाबाद	बल्लभगढ़	सोतई (73)	4210	सोतई	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है।
10	गुरूग्राम	पटौदी	भोड़ा कलां (134)	18961	भोड़ा कलां	व्यवहारिक	विस्तृत प्रयोजना रिपोर्ट अनुमोदन के तहत है।
11	फरीदाबाद	फरीदाबाद	तिगांव (95)	19668	तिगांव	व्यवहारिक	निविदा प्रक्रिया. के तहत है ।
12	सिरसा	डबवाली	गंगा (264)	10168	गंगा	व्यवहारिक	निविदा प्रक्रिया. के तहत है।
13	पानीपत	पानीपत	ददलाना (25)	11413	ददलाना	व्यवहारिक	निविदा अनुमोदन के तहत है।
14	सोनीपत	गोहाना	खानपुर कलां (56)	12544	खानपुर कलां	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
15	रोहतक	महम	निन्दाना (107)	12760	निन्दाना खास	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
16	पलवल	फिरोजपुर झिरका	साकरस (64)	15586	साकरस	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
17	फतेहाबाद	भट्टू कलां	भट्टू कलां (16)	19114	भट्टू कलां	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
18	महेन्द्रगढ़	सतनाली	सतनाली (7)	10013	सतनाली	व्यवहारिक	कार्य प्रगति पर है
19	यमुनानगर	बिलासपुर	बिलासपुर (CT)	159953	बिलासपुर	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
20	जींद	नरवाना	उझाना (160)	11696	उझाना	व्यवहारिक नहीं है।	लागू नहीं।

चरण –II: - चरण –II के तहत चयनित 37 गांवों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	जिला	ब्लाक	गांव	कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	ग्राम पंचायत	प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार सीवरेज बिछाने के संबंध में व्यवहार्यता स्थिति	टिप्पणी
1	भिवानी	भिवानी	कलिंगां (130)	13910	कलिंगा पाना राजू	व्यवहारिक नहीं है।	
2	भिवानी	भिवानी	खरक कलां(131)	12605	खरक कलां	व्यवहारिक नहीं है।	
3	चरखी दादरी	दादरी -I	रानीला (130)	10199	रानीला	व्यवहारिक नहीं है।	
4	भिवानी	बवानी खेड़ा	बड़सी (133)	23327	बड़सी गुजरां बड़सी जाटान	व्यवहारिक नहीं है।	
5	भिवानी	बाढ़ड़ा	बाढड़ा (40)	6333	बाढड़ा	व्यवहारिक नहीं है।	
6	फतेहरबाद	टोहाना	समैन (80)	10892	समैन	व्यवहारिक नहीं है।	
7	हिसार	नारनौंद	कापड़ो (7)	10944	कापड़ो	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
8	हिसार	नारनौंद	पेटवाड़ (92)	10011	पेटवाड़	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
9	हिसार	हांसी	ढाणा (128)	18286	ढाणा	व्यवहारिक नहीं है।	
10	हिसार	सिसाए	सिसाए (CT)	14339	सिसाए	व्यवहारिक नहीं है।	शहरीकरण होने के कारण अब गांव नहीं रहा।

11	हिसार	बास	बास (CT)	16469	बास	व्यवहारिक नहीं है।	
12	झज्जर	बहादुरगढ़	बादली (72)	12670	बादली	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
13	झज्जर	बहादुरगढ़	छारा (17)	12989	छारा	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
14	झज्जर	बेरी	डीगल (2)	14146	ढीगल	व्यवहारिक नहीं है।	लागू नहीं है।
15	झज्जर	बहादूरगढ़	मनढोठी (53)	10612	मनढोठी	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
16	जींद	सफींदों	मुव्वाना (63)	14205	मुव्वाना	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
17	कैथल	कलायत	बालू (20)	12834	बालू बीधान पटी बालू गदर पटी बालू रापरीया पटी	व्यवहारिक नहीं है।	
18	क्रनाल	घरोंड़ा (भाग)	बरसत (42)	10815	बरसत	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
19	करनाल	नीसिंग@ चिराओ	गोंडर (35)	14542	गोंडर	व्यवहारिक नहीं है।	
20	करनाल	घरौंडा (भाग)	कोहांड (30)	10193	कोहांड	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
21	करनाल	करनाल	कुजंपुरा (75)	11107	कुजंपुरा	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।

Continued ..3

22	करनाल	घरोंडा (भाग)	मुनक (28)	11507	मुनक	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
23	करनाल	नीगदू	नीगदू (14)	7832	नीगदू	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
24	कुरूक्षेत्र	ईस्माईलाबाद	ईस्माईलाबाद (CT)	13726	ईस्माईलाबाद	व्यवहारिक नहीं है।	शहरीकरण होने के कारण अब गांव नहीं रहा।
25	पलवल	होडल	औरंगाबाद (83)	11610	औरंगाबाद	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
26	पलवल	होडल	बनचारी (124)	11555	बनचारी	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
27	पलवल	होडल	भिदूकी (99)	11878	भिदूकी	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
28	पलवल	होडल	डिघोत (135)	10954	डिघोत	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
29	पलवल	होडल	सोंदाद (89)	12048	सोंद	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
30	पलवल	खांम्भी	खांम्भी (118)	9769	खांम्भी	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
31	पानीपत	बापौली	बापौली (54)	10309	बापौली	व्यवहारिक	विस्तार परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत है।
32	पानीपत	समालखा	चुलकाना (118)	11793	चुलकाना	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
33	पानीपत	मडलोडा	मडलोडा (7)	14356	मडलोडा	व्यवहारिक	अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत विस्तार परियोजना रिपोर्ट
34	पानीपत	सनौली खुर्द	राना माजरा (93)	12355	राना माजरा	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
35	पानीपत	नंगल खेड़ी	नंगल खेड़ी (CT)	18195	नंगल खेड़ी	व्यवहारिक नहीं है।	
36	पानीपत	सिवाह	सिवाह (CT)	13680	सिवाह	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
37	सोनीपत	खरखौदा	सीसाना (26R)	10169	सीसाना -I **सीसाना** -II	व्यवहारिक	डी.एन.आई.टी तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।

चरण –III: - चयनित 71 गांवों की सूची चरण –III के तहत ।

क्रम संख्या	जिला	ब्लाक	गांव	कुल जनसंख्या (व्यक्ति)	ग्राम पंचायत	प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार सीवरेज बिछाने के संबंध में व्यवहार्यता स्थिति	टिप्पणी
1	फरीदाबाद	बल्लभगढ़	चैनसा (202)	14216	चैनसा	व्यवहारिक नहीं है	
2	फरीदाबाद	बल्लभगढ़	फतैहपुर बीलौच (58)	10156	फतैहपुर बीलौच	व्यवहारिक नहीं है	
3	कैथल	कलायत	बाता (15)	11755	बाता	व्यवहारिक नहीं है	
4	भिवानी	बवानी खेड़ा	बलयाली (44)	12440	बलयाली	व्यवहारिक नहीं है	
5	भिवानी	भिवानी	बामला (15)	10859	बामला -I	व्यवहारिक नहीं है	
					बामला -II		
6	भिवानी	भिवानी	बपोड़ा (24)	14332	बपोड़ा	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
7	भिवानी	सिवानी	बड़वा (133)	11830	बड़वा	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
8	भिवानी	बैहल	बैहल (106)	10126	बैहल	व्यवहारिक नहीं है	
9	भिवानी	बैहल	बौंद कलां (127)	14309	बौंद कलां	व्यवहारिक नहीं है	
10	भिवानी	भिवानी	चांग (5)	12979	चांग	व्यवहारिक नहीं है	
11	भिवानी	भिवानी	देवसर (25)	12488	देवसर	व्यवहारिक नहीं है	
12	भिवानी	भिवानी	धनाना (52)	11766	धनाना -1	व्यवहारिक नहीं है	
					धनाना -2		
					धनाना -3		
13	भिवानी	भिवानी	दीनोद (26)	11792	दीनोद	व्यवहारिक नहीं है	
14	भिवानी	भिवानी	तीगड़ांना (10)	10712	तीगड़ांना	व्यवहारिक नहीं है	
15	फरीदाबाद	फरीदाबाद	धोज (17)	14297	धोज	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
16	फतेहाबाद	फतेहाबाद	बीघड़ (44)	13736	बीघड़	व्यवहारिक नहीं है	
17	फतेहाबाद	फतेहाबाद	भिरड़ाना (139)	12427	भिरड़ाना	व्यवहारिक नहीं है	
18	फतेहाबाद	भूना	गोरखपुर (52)	13068	गोरखपुर	व्यवहारिक नहीं है	
19	फतेहाबाद	फतेहाबाद	हीजरावां खुर्द (40)	10605	हीजरावां खुर्द	व्यवहारिक नहीं है	
20	फतेहाबाद	फतेहाबाद	हीजरावा कलां (41)	16178	हीजरावां कलां	व्यवहारिक नहीं है	
21	हिसार	हिसार-II	बालसमंद (22)	12835	बालसमंद	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
22	हिसार	उकलाना	बिठमड़ा (85)	11311	बिठमड़ा	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
23	हिसार	अगरोहा	नंगथला (138)	10617	नंगथला	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
24	हिसार	आदमपुर	सीसवाल (174)	12494	ढाणी सीसवाल	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
25	हिसार	उकलाना	उकलाना (ग्रामीण) (113)	11829	कुंदनपुरा	व्यवहारिक नहीं है	
					मदनपुरा /शंकरपुरा		
					मुगलपुरा		
					उकलाना गांव		
26	हिसार	हांसी -I	हांसी (ग्रामीण) (119)	23349	बाड़ा जग्गामल	व्यवहारिक नहीं है	
					दयाल सिंह कलोनी		
					ढाणी गुजरां		
					ढाणी पाल		
					ढाणी पुरिया		
					ढाणी राजू		
					ढाणी सांकरी		
					ढाणी ठाकरां		
					धरमपुरा		
					प्रेमनगर		
					सैनीपुरा		
27	हिसार	आदमपुर	सदलपुर (20)	15215	सदलपुर	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण

							/विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
28	हिसार	उकलाना	पाबड़ा (65)	26331	फरीदपुर कण्डूल खैरी किनाला पाबड़ा	व्यवहारिक नहीं है	
29	जींद	अलेवा	अलेवा (86)	14004	अलेवा	व्यवहारिक नहीं है	
30	जींद	उचाना	छात्तर (76)	12095	छात्तर	व्यवहारिक नहीं है	
31	जींद	नरवाना	दानोदा कलां (89)	11024	दानोदा कलां	व्यवहारिक नहीं है	
32	जींद	नरवाना	धमतान साहिब (60)	12750	धमतान साहिब	व्यवहारिक नहीं है	
33	जींद	नरवाना	धनौरी (6)	11929	धनौरी	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
34	जींद	अलेवा	नगूरां (81)	11614	नगूरां	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
35	कैथल	गुहला	भागल (1)	10908	भागल	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
36	कैथल	पुंडरी	ढांड (9)	10533	ढांड	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
37	कैथल	पुंडरी	हाबड़ी (31)	10702	हाबड़ी	व्यवहारिक नहीं है	
38	कैथल	पुंडरी	करोरा (46)	11097	करोरा	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
39	कैथल	पुंडरी	कौल (16/1)	11896	कौल	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
40	कैथल	कलायत	मटौर (26)	10968	मटौर	व्यवहारिक नहीं है	
41	कैथल	पुंडरी	पबनावा (20)	10644	पबनावा	व्यवहारिक नहीं है	
42	कैथल	पुंडरी	फरल (12)	11030	फरल	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
43	करनाल	निंसीग @ चिराओ	जुंडला (44)	13982	जुंडला	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
44	करनाल	असंध	बल्ला (30)	15187	बल्ला	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
45	करनाल	असंध	सालवान (95)	18594	सालवान	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
46	मेवात	पुन्हाना	बीछोर (243)	13824	बीछोर	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
47	मेवात	पुन्हाना	बीसरू (199)	11926	बीसरू	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
48	मेवात	फिरोजपुर झीरका	बीवान (148)	10659	बीवान	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
49	मेवात	नूंह	मालब (122)	12214	मालब	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
50	मेवात	पुन्हाना	नाई (229)	11658	नाई	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
51	मेवात	नूंह	घासेड़ा (161)	15147	घासेड़ा	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
52	मेवात	पुन्हाना	सिंगार (238)	19885	सिंगार	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
53	पलवल	पृथला	अलावलपुर (62)	10093	अलावलपुर	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
54	पलवल	हथीन	अलीमेव (284)	10795	अलीमेव	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	

55	पलवल	हसनपुर	बड़ोली (149)	11298	बाडोली	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
56	पलवल	पलवल	चांदहाट (172)	10302	चांदहाट	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
57	पलवल	हथीन	चनैसा (211)	10454	चनैसा	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
58	पलवल	हसनपुर	गुलावड़ (113)	10302	गुलावली	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
59	पलवल	होडल	होडल (ग्रामीण) (भाग) (93)	11568	गढ़ी पटटी	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
60	पलवल	हथीन	कोट (280)	10548	कोट	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
61	पलवल	हसनपुर	कुशक (111)	13477	कुशक	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
62	पलवल	हथीन	मंडकोला (217)	10773	मंडकोला	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
63	पलवल	हथीन	रूपराका (246)	12743	रूपराका	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
64	पलवल	हथीन	उतावड़ (278)	17650	उतावड	प्राथमिक सर्वेक्षण के तहत	
65	रोहतक	महम	बैहलबा (103)	13878	बैहलबा बैहलबा बलां बैहलबा खास बैहलबा पानरी	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
66	रोहतक	रोहतक	बहु अकबरपुर (94)	11120	बहु अकबरपुर	व्यवहारिक नहीं है।	
67	रोहतक	महम	मोखरा खास (101)	10780	मोखरा खास मोखरा कादयान छाजयान	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
68	रोहतक	लखन माजरा	टीटोली (88)	10177	टीटोली	व्यवहारिक नहीं है।	
69	सिरसा	बड़ागढ़ा	रोड़ी (167)	11997	रोड़ी	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
70	सिरसा	डबवाली	चौटाला (267)	16178	चौटाला	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।
71	सिरसा	ऐलानाबाद	जीवन नगर (124,126,127)	15485	जीवन नगर	व्यवहारिक	विस्तृत सर्वेक्षण /विस्तृत विवरण रिपोर्ट तैयारी की प्रक्रिया के तहत है।

अव्यवहारिकता के मुख्य कारण निम्न प्रकार है –

- दूर दूर बसी हुई आबादी।
- एम0पी0एस0 तथा एस0टी0पी0 बनाने हेतु जमीन की उपलब्धता न होना।
- उपचारित गंदे पानी के सुरक्षित निपटान हेतु नजदीक कोई नाला न होना।
- ग्राम पंचायतों द्वारा सीवर डलवाने की इच्छा ना होना।
- भूजल का उच्च स्तर तथा अत्यधिक ढलान वाली जमीन होना।
- ग्राम पंचायत का म्यूनिसिपैलिटी बनने से शहरीकरण होना।

.....

Construction of Bye Pass

744. Shri Pirthi Singh : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye Pass in Narwana; if so, the time by which the construction of the abovesaid Bye-Pass is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Construction of Bye-Pass

773. Shri Ravinder Singh Baliala : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye-Pass for connecting Tohana Road to Fatehabad Road in Ratia City; if so, the time by which the above said Bye-Pass is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी, इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Repair of Roads

745. Shri Pirthi Singh : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that most of the roads constructed by Haryana State Agriculture Marketing Board in the Narwana Assembly Constituency have been damaged completely; if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी नहीं, श्रीमान्; केवल 22.40 किलोमीटर लम्बाई की छः सड़कें खराब हालात में है। हालांकि, इन सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और 30 जून, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

.....

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू के पारिवारिक सदस्यों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की पत्नी श्रीमती एकता सिंधू एवं परिवार के अन्य सदस्यगण बहन श्रीमती बिमला देवी और श्री कुलबीर छिकारा, सदन की कार्यवाही को देखने के लिए अति विशिष्ट दीर्घा में बैठे हुए हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ।

.....

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2019–20 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2 हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर लगातार पांचवें वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उद्धरण से प्रारम्भ करना चाहता हूँ –

प्रजा सुखे सुखं राजः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्मप्रियं प्रियं राजः प्रजानां तु प्रियं प्रियम् ॥

प्रजा के सुख में सरकार का सुख है,
प्रजा के हित में सरकार का हित है,
प्रजा को जो प्रिय है, वही सरकार को प्रिय है।

3 माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भावना के अनुरूप, मैं इस अवसर पर पिछले चार वर्षों में वर्तमान सरकार की उपलब्धियों तथा इसके वर्तमान कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु विकास एजेंडा पूरा करने के लिए सरकार के विजन और कार्य–योजना का उल्लेख करना चाहता हूँ।

4 भारतीय अर्थ–व्यवस्था का वैष्विक अर्थ–व्यवस्था में निरन्तर विषिष्ट स्थान बना हुआ है क्योंकि यह वर्ष 2018–19 में 7.2 प्रतिषत के साथ तेजी से बढ़ती हुई विश्व की प्रमुख अर्थ–व्यवस्थाओं में से एक होगी। वर्ष 2019–20 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का विष्व बैंक का आकलन 7.5 प्रतिषत तथा एषियाई विकास बैंक का आकलन 7.6 प्रतिषत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत ने तेजी से बढ़ती अर्थ–व्यवस्थाओं में से एक होने तथा विष्व में एक स्थिर लोकतंत्र होने का दोहरा गौरव हासिल किया है। वर्ष 2013–14 में भारत विष्व में ग्यारहवीं बड़ी अर्थ–व्यवस्था था जो आज छठी बड़ी अर्थ–व्यवस्था है और वर्ष 2030 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थ–व्यवस्था बनने की सम्भावना है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्र उच्च वृद्धि हासिल करने, दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा अर्थ–व्यवस्था को राजकोषीय मजबूती प्रदान करने के मामले में वृहत् अर्थ–व्यवस्था स्थिरता के श्रेष्ठ चरण का साक्षी रहा है।

5 समावेषी विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक प्रमुख एजेंडा रहा है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से, अन्तरिम बजट– 2019–20 में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं का स्वागत करता हूँ, जिनमें हमारी अर्थ–व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए आय–सहायता योजना–प्रधानमंत्री–किसान योजना, हमारी अर्थ–व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग माने जाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंषन के रूप में आय सुरक्षा मुहैया करवाने वाली प्रधानमंत्री श्रम–योगी मानधन योजना शामिल हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, रेरा अधिनियम, 2016 और 2018 में भगौड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम से जवाबदेही और पारदर्षिता में सुधार हुआ है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को 10 प्रतिषत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय सामाजिक न्याय की दिषा में एक और मील का पत्थर है।

6 हर भारतीय को भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर गर्व होना चाहिए, जिनके परिणामस्वरूप भारत विष्व आर्थिक मंच के वैष्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में पांच स्थान चढ़कर 58वें स्थान पर पहुंच गया तथा विष्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में 2014 के 142वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया, जो महान उपलब्धि है। जीएसटी का क्रियान्वयन हमारे देश के इतिहास में अप्रत्यक्ष करों की दिशा में एक मील पत्थर है।

7 मैं, सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए भी केन्द्रीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूँ, जिससे प्रयोज्य आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है और तीव्र विकास की नींव पड़ी है। मैं आयकर सीमा 5 लाख रुपये तक करने के लिए भी केन्द्रीय वित्तमंत्री को बधाई देता हूँ, जिससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को उल्लेखनीय राहत मिली है। यदि 6.50 लाख रुपये तक की सकल आय वाला व्यक्तिगत करदाता भविष्य निधि, विशिष्ट बचतों, बीमा आदि में निवेश करता है, तो उसे कोई आयकर नहीं देना होगा।

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

8 माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने बजट 2019–20 प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, मैं चालू वर्ष के दौरान पिछले प्रदर्षन का संक्षिप्त विवरण इस गरिमामयी सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

अर्थ–व्यवस्था–सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की स्थिति

9 वर्ष 2018–19 के दौरान, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हरियाणा के **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल होने की सम्भावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.2 प्रतिशत दर्ज की गई है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2018–19 के लिए हरियाणा का **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** 7.07 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसका 188.41 लाख करोड़ रुपये के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.75 प्रतिशत का योगदान है। वर्श 2018–19 में स्थिर मूल्यों पर हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5.26 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जोकि 139.52 लाख करोड़ रुपये के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 3.77 प्रतिषत है।

10 वर्ष 2018–19 में, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 5.5 प्रतिषत, द्वितीयक क्षेत्र में 8.6 प्रतिषत और तृतीयक क्षेत्र में 8.2 प्रतिषत अनुमानित है। इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तदनुरूपी आंकड़े प्राथमिक क्षेत्र के लिए 3.3 प्रतिषत, द्वितीयक क्षेत्र के लिए 8.6 प्रतिषत और तृतीयक क्षेत्र के लिए 7.3 प्रतिषत अनुमानित हैं।

11 प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों के लिए आय के स्रोत में विविधता लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप, पशुधन में उच्चतम विकास दर 11.1 प्रतिशत, मत्स्य पालन और जलीय खेती में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्श 2018–19 में द्वितीयक क्षेत्र में, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 17.5 प्रतिशत और विनिर्माण में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार और मरम्मत सेवाओं में 9.6 प्रतिशत, वित्तीय सेवाओं में 9.2 प्रतिशत और लोक प्रशासन में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल होने की सम्भावना है।

12 जीएसवीए की संरचना ने सेवा क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन दर्शाया है, जोकि विकासषील और परिपक्व अर्थव्यवस्था का संकेत है। वर्ष 2018–19 में स्थिर मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014–15 से 1.62 प्रतिशत बढ़ा है, जो जीएसवीए का 50.2 प्रतिषत अनुमानित है तथा द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 1.27 प्रतिषत बढ़ा है, जो जीएसवीए का 32 प्रतिशत अनुमानित है। वर्श 2018–19 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17.8 प्रतिषत अनुमानित है।

13 मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वर्ष 2014–15 से, स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 34 प्रतिषत से अधिक की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2017–18 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,57,649 रुपये अनुमानित थी, जोकि वर्श 2018–19 में 91,921 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 1,68,209 रुपये होने की सम्भावना है। वर्ष 2014–15 में वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी। वर्ष 2017–18 में, यह 2,03,340 रुपये अनुमानित थी, जोकि वर्ष 2018–19 में 1,25,397 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 2,26,644 रुपये रहने की सम्भावना है, जिससे देष के प्रमुख राज्यों में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक हो गया है।

14 माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन को मुझे यह बताते हुए खुषी हो रही है कि वैष्विक विष्लेषण कम्पनी क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेषन सर्विसिज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) ने जनवरी, 2019 में प्रकाषित अपनी रिपोर्ट ''विकास की स्थिति 2.0'' में उल्लेख किया है कि हरियाणा भारत के केवल उन दो राज्यों में से एक था जिसने राश्ट्रीय औसत से तीव्र, उच्च समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि तथा रोजगार–सघन क्षेत्र में उच्च सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि दर्ज की, जोकि राज्य की अर्थ–व्यवस्था में प्रति निवेष और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के हमारे लक्ष्य की दिषा में हमारी प्रगति का सूचक है।

राज्य वित्त–राजकोषीय मानक

15. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, हमारा राज्य वित्तीय प्रशासन में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनकर उभरा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व घाटे को छोड़कर सभी राजकोषीय मानक पूरी तरह से चौदहवें वित्त आयोग और एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं में हैं। इसके अलावा, सरकार राजस्व घाटे में बढ़ते रुझान को बदलने में सक्षम हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2016–17 में राजस्व घाटा, जोकि जीएसडीपी का 2.92 प्रतिशत था, वर्ष 2019–20 के लिए जीएसडीपी का 1.53 प्रतिशत अनुमानित है।

16. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभावी राजस्व घाटा एक बेहतर राजकोषीय संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया

अनुदान शामिल नहीं है। वर्ष 2016–17 में प्रभावी राजस्व घाटा 2.81 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017–18 में जीएसडीपी का 1.03 प्रतिशत कम हुआ है। बजट अनुमान 2019–20 में, यह और कम होकर जीएसडीपी के 0.73 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। इससे स्पष्ट होता है कि, वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया है। ऋणों में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2016–17 के 20 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 29 प्रतिशत होना, यह दर्शाता है कि ऋण पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु लिए गए हैं। राजस्व घाटे को कम करने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए विभागों को प्रोत्साहित करने, गैर–उत्पादक व्यय को कम करने और फण्ड्स की पार्किंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रदर्शन से जुड़े परिव्यय तंत्र की शुरुआत की है। हम जवाबदेही और लेखा परीक्षा तंत्र में सुधार के लिए "हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक" के नाम से एक विधेयक भी ला रहे हैं। इन उपायों से सरकार अगले पांच वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य पर लाने के लिए आशान्वित है।

17. राजकोषीय घाटा : विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीतियों का पालन करके, हम राजकोषीय घाटे को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखने में सक्षम हुए हैं, हालांकि पिछले वर्षों में विकास गतिविधियों के लिए धन की मांग कई गुणा बढ़ी है। वर्ष 2016–17 में, राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.91 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 में, यह जीएसडीपी (बिना उदय के) का 2.71 प्रतिशत था। हालांकि उदय के साथ यह मामूली बढ़कर 3.05 प्रतिशत हो गया है। बजट अनुमान 2018–19 में, राजकोषीय घाटा उदय के साथ जीएसडीपी का 2.82 प्रतिशत और उदय के बिना 2.51 प्रतिशत अनुमानित था। संशोधित अनुमान 2018–19 के अनुसार, यह उदय के साथ जीएसडीपी का 2.90 प्रतिशत और उदय के बिना यह जीएसडीपी का 2.60 प्रतिशत अनुमानित है। आगामी वर्ष 2019–20 में, यह उदय के साथ जीएसडीपी का 2.86 प्रतिशत और उदय के बिना जीएसडीपी का 2.59 प्रतिशत रहने की संभावना है।

18. जीएसडीपी–ऋण अनुपात 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अन्दर रहा है। वर्ष 2017–18 में, जीएसडीपी–ऋण अनुपात उदय के बिना 18.17 प्रतिशत था, संशोधित अनुमान 2018–19 में, यह 18.52 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि बजट अनुमान 2019–20 में, यह 19.55 प्रतिशत अनुमानित है। उदय के साथ जीएसडीपी–ऋण

अनुपात बजट अनुमान 2017–18 में 22.32 प्रतिशत था, संशोधित अनुमान 2018–19 में 22.19 प्रतिशत था। बजट अनुमान 2019–20 के लिए, उदय के साथ यह 22.86 प्रतिशत और उदय के बिना 19.6 प्रतिशत अनुमानित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन को यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब साढ़े 4 साल पहले हमारी सरकार बनी तो एक बहुत बड़ी चुनौती माननीय मुख्यमंत्रीजी के सामने थी। उदय के तहत लगभग 25,950 करोड़ रुपये का कर्जा बिजली कम्पनीज से पिछली सरकार के समय से लिया हुआ था। हमारी सरकार ने उस कर्जे को सरकारी खाते में स्वीकार किया। इसमें सरकार को एक समय–सीमा दी गयी थी कि आपको यह कर्जा एफ.आर.बी.एम. के नार्म्ज के अन्तर्गत लाना होगा। इसलिए सरकार को एफ.आर.बी.एम. के नार्म्ज के अनुसार मर्यादा में ही काम करना पड़ा। मुझे इस महान सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछली सरकार के समय बिजली कम्पनीज द्वारा 25,950 करोड़ रुपये का कर्जा भी हमारी सरकार ने अपने खाते में लेने के बावजूद भी एफ.आर.बी.एम. के नार्म्ज के अनुसार जी.एस.डी.पी. की तुलना में ऋण को लेने का काम किया है।

पूंजीगत व्यय

19. माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इस गरिमामय सदन को यह अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बजट अनुमान 2018–19 के 30,011.76 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की तुलना में, हम इसे संषोधित अनुमान 2018–19 में 35,040.59 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। बजट अनुमान 2019–20 में यह और बढ़कर 37,924.09 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। कुल व्यय के अनुपात में, पूंजीगत व्यय 2017–18 के 22.50 प्रतिषत से बढ़कर संषोधित अनुमान 2018–19 में 29.11 प्रतिषत हो गया। बजट अनुमान 2019–20 में यह कुल बजट का 28.69 प्रतिषत बढ़ने की सम्भावना है।

20. पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन के अतिरिक्त, प्रदेष में पूंजीगत अवसंरचना के सृजन व इसके मजबूतीकरण हेतु हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी व्यापक पूंजी निवेष कर रहे हैं। वर्ष 2019–20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 4185.00 करोड़ रुपये का पूंजी निवेष किए जाने का अनुमान है। इस प्रकार,

बजट अनुमान 2019–20 में संचित रूप में कुल पूंजीगत निवेश 42,109.09 करोड़ रुपये अनुमानित है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय वो है जो शुद्ध तौर पर सीधे–सीधे डिवलेपमैंट पर खर्च होता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर खर्च होता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्षन

21. सरकार के एक भाग के रूप में राज्य के सार्वजनिक उपक्रम विभिन्न सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

22. वर्ष 2017–18 में, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत 22 सार्वजनिक उपक्रमों में से 18 उपक्रमों ने षुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि वर्श 2013–14 में 13 सार्वजनिक उपक्रम षुद्ध लाभ की स्थिति में थे। वर्ष 2017–18 में इन 18 उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ 1116.16 करोड़ रुपये था। घाटे में रहने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 के 9 से कम होकर वर्ष 2017–18 में 4 रह गई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सकल घाटा वर्ष 2017–18 में कम होकर 19.89 करोड़ रुपये रह गया।

23. इसी प्रकार, सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्षाए हैं। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 2013–14 में पांच से बढ़कर 2017–18 में सात हो गई और इसी अवधि के दौरान उनका लाभ 72.91 करोड़ रुपये से बढ़कर 132.20 करोड़ रुपये हो गया।

नई पहल

24. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल का अन्तिम बजट होगा। यह बजट अति महत्वपूर्ण है क्योंकि संयोग से हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा की अर्थ–व्यवस्था भारत की अर्थ–व्यवस्था से भी तेज गति से बढ़ रही है। हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों की सेवा के लिए अति गम्भीरता से प्रयास किए हैं और हरियाणा को देश का अति विकसित राज्य बनाने

के लिए 'विजन 2030' दस्तावेज में की गई परिकल्पना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहेगी।

25. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे है। मैं उनके एक प्रसिद्ध कथन का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है ''मैं तुम्हें एक मूलमंत्र देता हूँ–एक गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति का स्मरण करो और स्वयं से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वह उसके किसी काम का है या नहीं''।

मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का मंत्र देते हुए जो कहा था उसका उल्लेख भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था ''आर्थिक योजनाओं और आर्थिक विकास का आकलन उन लोगों से नहीं किया जा सकता जो अर्थ–व्यवस्था की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ गए हैं, बल्कि इसका आकलन उन लोगों से होता है जो अभी भी नीचे हैं''।

26. अध्यक्ष महोदय, हमारे देष के इन महापुरुशों के विचारों और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाशण पर अपने उत्तर में की गई घोशणा की भावना के अनुसरण में पांच एकड़ तक की भूमि के काश्तकार किसान परिवारों और असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों के परिवारों, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई स्कीमें घोशित करते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। किसानों के मामले में यह भारत सरकार द्वारा घोशित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) स्कीम के अलावा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय इस बजट में इन स्कीमों के लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

27. इसके अलावा, जमीनी स्तर पर रोजगार और आजीविका प्रदान करने में दस्तकारों, कमेरों और अन्य षिल्पकारों द्वारा दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए और उनकी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सी और डी खण्डों में 20 किलोवॉट तक के कनैक्टिड भार पर 2.00 रुपये प्रति किलोवॉट की दर पर पहले से मिल रही सब्सिडी के अलावा ए और बी खण्डों में 10 किलोवॉट तक के कनैक्टिड भार पर 2.00 रुपये प्रति किलोवॉट की दर से सब्सिडी प्रदान करने का सरकार प्रस्ताव करती है।

28. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य वित्त एवं बजट के प्रबन्धन में बड़ा परिवर्तन करके हरियाणा ने देष में एक अग्रणी स्थान हासिल किया है। पिछले चार वर्षों में हम प्रदेष के वित्त और राजकोषीय प्रबन्धन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने में सक्षम हुए हैं।

वित्तीय जवाबदेही

29. सरकारी विभागों और सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाली ऐसी सभी संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास स्वरूप, राज्य सरकार का 'हरियाणा सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही विधेयक, 2019' लागू करने का प्रस्ताव है। लागू होने के बाद यह विधेयक सभी विभागों और सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं में उपयुक्त लेखा और लेखा परीक्षा प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रणाली उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा, सरकार सार्वजनित वित्त के बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही तथा प्रस्तावित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाओं के गठन का भी इरादा रखती है।

आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क

30. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने जून, 2017 में विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया था, स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान चालू किया और इन लक्ष्यों के लिए पिछले वर्श बजटीय आवंटन भी संरेखित किया गया था।

31. इस वर्श एक कदम आगे बढ़ाते हुए, मैं बजट 2019–20 के लिए आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क षुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह चरणबद्ध ढंग से सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सार्वजनिक खर्च को संरेखित करने के लिए एकीकृत ढांचा प्रदान करके आधार स्तम्भ के रूप में कार्य करेगा। यह फ्रेमवर्क सभी हितधारकों के बीच सरकार की कल्याण और विकास गतिविधियों के बारे में गहरी समझ पैदा करेगा और विभागों को वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन पर नजर रखने में सक्षम बनाएगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट से सम्बंधित जहां कुल दस्तावेज़ उपलब्ध करवायें हैं उसमें हमने एक बुक–लैट बनाई है। ये आउटपुट–आउटकम

फ्रेमवर्क के नाते से हरियाणा सरकार के जिला स्तर से भी नीचे सब–डिवीज़न और ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक विभाग के अधिकारी को यह किताब मिलेगी। इससे हर विभाग के अधिकारी को यह पता होगा कि उसके विभाग को किस मद में खर्च करने के लिए कितना पैसा बजट में आबंटित हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि अगर उसकी जिम्मेदारी है तो उसके विभाग को ब्लॉक के स्तर पर उसके विभाग से सम्बंधित विभिन्न मदों में कितनी धनराशि आबंटित हुई इसकी जानकारी भी उसको हो सकेगी। उसके विभाग से सम्बंधित जो योजना है जिसके लिए वह धनराशि आबंटित की गई है उसका आम आदमी के जीवन में क्या परिणाम आना चाहिए उस बुक में दी गई टेबल में यह भी रेखांकित किया गया है। सम्बंधित विभाग का अधिकारी अपनी साल भर की प्रोग्रैस को महीनेवार मॉनीटर कर सके ऐसी व्यवस्था करने की हमने कोशिश की है। इससे हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नये प्रकार से प्रशासन व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। मैं पूरे सदन का अपने इस प्रयास पर समर्थन चाहता हूं।

समझौता पत्र पर हस्ताक्षर

32. पहली बार, सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप, राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्रों में हरियाणा और गुजरात राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों राज्यों के वित्त विभागों के बीच एक समझौता करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

निश्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ)

33. सरकार राज्य की विकास गति को बनाए रखने के लिए, राजकोषीय दूरदर्षिता का परिचय देते हुए उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को समझती है। इसलिए, संसाधनों का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा 'निष्पादन से जुड़ा परिव्यय' (पीएलओ) के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है।

34. पीएलओ स्कीम के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्षिता को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होगा। यह विभागों को लाभकारी उपयोग हेतु संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा,

यह फंड की पार्किंग पर अंकुष लगाने और साल के अंत में ताबड़–तोड़ निकासी को रोकने में भी सहायक होगा। इससे वित्त विभाग को विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट के पुनः आवंटन में मदद मिलेगी।

कॉरपोरेट सैलरी पैकेज

35. हरियाणा सरकार ने, पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करने के उद्देष्य से बैंकों के साथ बातचीत करके एक अनूठी पहल की है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये देना, 50,000 रुपये की चिकित्सा सुविधा और 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा जैसे कई लाभ प्रदान करने के लिए चार बैंकों–एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और हरको बैंक को चुना गया है।

फण्ड्स की पार्किंग

36. एक अन्य ऐतिहासिक पहल के रूप में, सरकारी संस्थानों को सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेह बनाने और विकास गतिविधियों के लिए धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित संगठनों के पास निष्क्रिय पड़ी निधियों की मात्रा का पता लगाने के लिए एकबारगी कवायद की गई थी। इस कवायद के परिणामस्वरूप, सरकार उल्लेखनीय मात्रा में अप्रयुक्त धन का पता लगाने में सक्षम हुई है। हाल ही में निगमित हरियाणा वित्तीय सेवाएं लिमिटेड इन निधियों का दक्षतापूर्ण ढंग से समेकन और नियोजन करेगी।

बजट 2019–20

37. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019–20 के लिए, मैं 1,32,165.99 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जोकि बजट अनुमान 2018–19 के 1,15,198.29 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 14.73 प्रतिशत और संशोधित अनुमान 2018–19 के 1,20,375.40 करोड़ रुपये से 9.79 प्रतिशत अधिक है। इस बजट परिव्यय में 37,924.09 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के रूप में 28.7 प्रतिशत और 94,241.90 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के रूप में 71.3 प्रतिशत परिव्यय शामिल है। पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष के बजट आवंटन को भी मैंने सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.32 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 46562.37 करोड़ रुपये प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे 15 सतत विकास

लक्ष्यों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण अलग दस्तावेज में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि हमने हरियाणा सरकार के पूरे एक्सपेंडीचर को जिसका विजन वर्ष 2030 लिया है। यू.एन.डी.पी. के साथ मिलकर के सस्टैनेबल डिवैल्पमैंट गोल हैं, उसके लक्ष्यों को साल दर साल प्राप्त करने के लिए हमने इस बजटरी एलोकेशन को अलाइनमेंट करने का काम किया था और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

क्षेत्रवार आवंटन

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

38. माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां राज्य सरकार के लिए सदैव प्राथमिकता का क्षेत्र रही हैं। हम कृषि में आमूल–चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए हम आगामी वर्षों में परम्परागत फसल उत्पादन की अपेक्षा बागवानी फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन पर ध्यान केन्द्रित करके और इन क्षेत्रों को समग्र, एकीकृत, प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी बनाएंगे।

39. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा किसान 'अन्नदाता से ऊर्जादाता' बने। उनके इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल की हैं, जिनमें राज्य में बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2018 की अधिसूचना, जिसमें वर्ष 2022 तक 150 मैगावाट की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य है, वर्ष 2018–19 में 18 मैगावाट और 2019–20 में 30 मैगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पम्प प्रणालियां प्रदान की स्कीम क्रियान्वित करना शामिल हैं। इस स्कीम के तहत 2एचपी और 5एचपी के सौर जल पम्पिंग सिस्टम प्रदान किए जा रहे है। इसके लिए 75 प्रतिशत राज्य सब्सिडी होगी तथा 25 प्रतिशत राशि उपयोगकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। सरकार द्वारा 3एचपी से 10एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ–ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने की भी योजना है, जिसे 75 प्रतिशत राज्य सब्सिडी के साथ नाबार्ड से ऋण लेकर दो चरणों में लागू किया जाएगा। वर्ष 2018–19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019–20 में

दूसरे चरण में 35000 पंप लगाने की योजना है। इन प्रयासों से हमारे किसान उपभोक्ता की बजाय बिजली उत्पादक और बिजली आपूर्तिकर्ता बनेंगे।

40. जिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किए गए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। यह खरीद ई–खरीद पोर्टल 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पर किसानों के पूर्व पंजीकरण के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष 2.70 लाख टन सरसों और 1.80 मीट्रिक टन बाजरे की रिकॉर्ड खरीद की गई।

41. राज्य सरकार ने चार बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार की कीमतों में अनियंत्रित गिरावट की स्थिति में हर किसान को कम से कम खेती की लागत मिल सके। इस वर्ष 14,875 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

42. राज्य सरकार ने इस वर्ष गन्ने के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की है,जो एक बार फिर देश में अधिकतम है। पहली बार, किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए 16 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी गई।

43. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विशिष्ट मण्डियों के विकास का काम शुरू कर दिया गया है, जैसेकि पिंजौर में अत्याधुनिक एकीकृत सेब मण्डी, जिला सोनीपत के सेरसाह में मसालों की थोक मण्डी और गुरुग्राम में फूलों की थोक मण्डी। गन्नौर में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक एसवीपी बनाया गया है।

44. किसानों के जोखिम को कम करने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके तहत किसानों से लिए गए 406.27 करोड़ रुपये के प्रीमियम के विरूद्ध मुआवजे के रूप में पिछले तीन वर्षों में 1140.98 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जो बीमा कंपनियों को दिए गए 818.20 करोड़ रुपये के प्रीमियम से अधिक है। इसके अलावा, उदार नीति अपनाते हुए, सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के लिए भी प्रति एकड़ 12000 रुपये का मुआवजा दिया है।

45. पर्यावरण संरक्षण के हित में, कृषि विभाग द्वारा नई कृषि पद्धतियों और मशीनरी की शुरुआत के साथ, फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु खरीफ–2018 के

दौरान एक व्यापक अभियान चलाया गया। 1194 कस्टम हायरिंग सेंटर को 80 प्रतिशत सबसिडी और 3582 किसानों को 50 प्रतिशत सबसिडी दी गई।

46. मृदा और उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 2015–2017 के दौरान 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए, जो अब मार्च, 2019 तक दूसरी बार नवीनीकृत होने की प्रक्रिया में हैं।

बागवानी

47. सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में बागवानी के तहत क्षेत्र को 8.17 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाकर लगभग दोगुणा करने और बागवानी उत्पादन को तीन गुणा करने के उद्देष्य से '**हॉर्टिकल्चर विजन**' तैयार किया है। इस दिशा में, बागवानी विभाग ने 96 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है, जिनमें 34,219 किसानों को शामिल किया गया है, जिन्हें पैक हाउसों का अपेक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा और कृषि व्यवसाय संचालन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे सीधे रिटेल चेन और उपभोक्ताओं को अपनी उपज अधिक कीमत पर बेच सकेंगे।

48. एकीकृत बागवानी विकास हेतु होडल में एक नया एकीकृत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।

पषु पालन एवं डेरी

49. प्रदेष के पषुपालकों को सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्श 2018–19 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पषुधन बीमा योजना षुरु की गई।

50. राज्य में आवारा सांडों की समस्या के समाधान के लिए, सरकार ने संकर और देसी नस्ल के पषुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए 2 लाख सैक्स्ड सीमन खरीदने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है।

51. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्श 2019–20 में 52 राजकीय पषु चिकित्सा अस्पतालों और 115 राजकीय पषु औषधालयों के निर्माण का प्रस्ताव है।

52. जनवरी, 2019 के अंतिम सप्ताह से, पहली बार डिजिटल रूप में 20वीं पषु गणना षुरू की गई है। भारत सरकार के एक एप्प के साथ विभागीय एप्प षुरू किया जा रहा है। इलैक्ट्रॉनिक टेबलेट का उपयोग करके ''हर पषु का ज्ञान'' मोबाइल एप्लीकेषन के माध्यम से प्रत्येक पषु की चित्र सहित विस्तृत सूचना दर्ज

करने के लिये, भारत सरकार की एप्प के साथ एक विभागीय एप्प भी षुरू की जा रही है।

53. ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की मिलावट का पता लगाने के लिये, सरकार द्वारा वर्श 2019–20 में प्रत्येक राजकीय पषु चिकित्सा अस्पताल के स्तर पर **तीव्र दुग्ध परीक्षण सुविधा** विकसित की जाएगी। राज्य में पषु पालकों द्वारा फोन पर घर–द्वार पर सचल पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिये पायलट परियोजना के रूप में आरम्भ में तीन जिलों (जींद, यमुनानगर और मेवात) में **पशु संजीवनी सेवा** षुरू की जायेगी और बाद में इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में किया जायेगा।

मत्स्य पालन

54. चरखी–दादरी, जीन्द और झज्जर जिलों के जलभराव वाले क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इससे जलभराव वाले चयनित 16 हजार क्षेत्रों का इस्तेमाल करके मत्स्य पालकों की आय बढ़ाई जाएगी। वर्ष 2019–20 के अन्त तक, मछली पालन के अधीन जल क्षेत्र 20 हजार हैक्टेयर से बढ़ाकर 21 हजार हैक्टेयर तथा मत्स्य उत्पादन 2.28 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2.41 लाख मीट्रिक टन और प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादकता 11 हजार किलोग्राम की जाएगी।

55. मैं कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019–20 में 3834.33 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2018–19 के 3670.29 करोड़ रुपये की तुलना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 2210.51 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 1026.68 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपये, और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

सहकारिता

56. सरकार का वर्ष 2020–21 तक 750 करोड़ रुपये की कुल लागत से शाहबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी का एथनोल प्लांट लगाने और सहकारी चीनी मिल पानीपत और करनाल का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है।

57. दुग्ध के संग्रहण में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने तथा संग्रहण के विस्तार के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों को, 'दुग्ध सहकारिताओं को सहायता' स्कीम के तहत 700 ऑटोमेटिक मिल्क कलैक्शन

यूनिट्स/डाटा प्रौसेसर मिल्क कलैक्शन यूनिट्स की खरीद हेतु सहायता उपलब्ध करवाई है।

58. मैं बजट अनुमान 2019–20 के लिए 1396.21 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो बजट अनुमान 2018–19 के 802.07 करोड़ रुपये के परिव्यय से 74.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

59. खरीफ–2018 गिरदावरी के दौरान व्यापक जल निकासी कार्य किए गए। राज्य ने खरीफ–2018 के दौरान उन किसानों को भी अनुग्रह राहत देने का निर्णय लिया है, जिनकी भूमि पर जल भराव के कारण बुवाई नहीं हो सकी।

60. सरकार ने नम्बरदारों का मानदेय भी 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने तथा उन्हें एक मोबाइल फोन देने का भी निर्णय लिया है।

61. सरकार ने भू–अभिलेखों में जीआईएस का उपयोग शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मानेसर तहसील के लिए 10 सेमी सटीकता के साथ ड्रोन आधारित भू–कर सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया और तहसील के भू–अभिलेख को जीआईएस नक्शों के साथ एकीकृत किया गया। हमने 1:10,000 के पैमाने पर सभी राज्य भू–कर सम्बन्धी मानचित्रों को सार्वजनिक जानकारी के लिए डाल दिया है। सभी राज्य भू–अभिलेखों को जीआईएस के साथ एकीकृत करने के लिए, सरकार ने अब भारतीय सर्वेक्षण जो हमारी केन्द्रीय संस्था है, के साथ समझौता किया है।

62. कैथल, जींद और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। अब हम सभी जिलों और राज्य मुख्यालय तक इस पहल का विस्तार कर रहे हैं।

63. राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले जाति, अधिवास, आय आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को अब डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया जा रहा हैं। ये प्रमाण पत्र अब सीधे संबंधित नागरिक के डिजिलॉकर में डाल दिए जाते हैं।

64. एक ही छत के नीचे ई–सेवाओं की प्रदायगी की सुविधा के लिए मौजूदा ई–दिशा केंद्रों को अंत्योदय सरल केंद्रों के रूप में पुनर्निर्मित और परिवर्तित किया गया है।

65. राजस्व विभाग के लिए, मैं बजट अनुमान 2019–20 में 1512.42 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो बजट अनुमान 2018–19 के 1053.95 करोड़ रुपये की तुलना में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

स्वास्थ्य

66. हरियाणा सरकार 63 अस्पतालों, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 509 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,636 उप–स्वास्थ्य केंद्रों, 7 ट्रॉमा सेंटर, 3 बर्न केयर यूनिट्स और 57 शहरी औषधालयों/पॉलीक्लिनिक्स के विषाल नेटवर्क के माध्यम से सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

67. वर्श 2018 में देषभर में '**आयुष्मान भारत**' स्कीम को पूरे देश में षुरू किया गया। इस योजना के तहत पहले क्लेम की अदायगी करने वाला हरियाणा देष में **प्रथम राज्य** बना। इस योजना के तहत 15 फरवरी, 2019 तक 4,596 क्लेम में 6.96 करोड़ रुपये की राषि जारी की गई है और 5.60 लाख रिकॉर्ड सृजित किए गए हैं।

68. सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति के तहत, सरकार द्वारा सीटी स्कैन, एमआरआई, हेमोडायलिसिस और कार्डियक कैथेटेराइजेशन (कैथ लैब) सेवाएं जन साधारण को उच्च सब्सिडी दरों पर तथा बीपीएल और अनुसूचित जाति के रोगियों के लिए निःषुल्क प्रदान की जा रही हैं।

69. चार जिला नागरिक अस्पतालों सहित 32 सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसके शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कृष्णानगर गामड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है। जिला नागरिक अस्पताल रोहतक ने राष्ट्रीय प्रमाणन में अधिकतम 96 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है और इसे असम के काजीरंगा में आयोजित 12वें राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में सम्मानित किया गया।

70. चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नेषनल एक्रीडिटेषन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एण्ड हेल्थकेयर प्रोवाइड्र्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जिला नागरिक अस्पताल पंचकुला की प्रयोगशाला भी एनएबीएल प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की देश में पहली प्रयोगशाला बन गई है।

71. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए हरियाणा को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 'आई प्लेज फॉर 9' अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

चिकित्सा षिक्षा एवं अनुसंधान

72. चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के उद्देश्य से भिवानी, महेन्द्रगढ़ और जींद में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम गुरुग्राम और श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम के सहयोग से गुरुग्राम में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

73. करनाल के गांव कुटेल में 500 बैड के सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 50 बैड का ट्रामा सेंटर शामिल है। राज्य सरकार द्वारा शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़, नूंह के परिसर में एक डेंटल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 6 राजकीय नर्सिंग संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

74. केन्द्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भारत का 22वां एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी, 2019 में झज्जर के गांव बाढ़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, जो एम्स, नई दिल्ली का विस्तार है, का उद्घाटन किया गया है, जो संचालित हो गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा

75. ईएसआई हैल्थ केयर प्रदेष भर में स्थित 7 ईएसआई अस्पतालों और 79 ईएसआई औषधालयों, 3 आयुर्वेदिक इकाइयों और सचल औषधालयों के माध्यम से, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत 31.25 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रित सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं मुहैया करवा रहा है।

76. राज्य सरकार द्वारा बहादुरगढ़ और बावल में 100 बैड के ईएसआई अस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली से सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री

जी द्वारा फरवरी, 2019 में फरीदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए ईएसआई मेडिकल कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

77. ईएसआईसी द्वारा तरवाड़ी (करनाल), कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी और कैथल में नई ईएसआई डिस्पेंसरी खोलना और पंचकुला में ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल के निदेशालय तथा ईएसआई डिस्पेंसरी के लिए भवन का निर्माण अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनकी 2019–20 के लिए परिकल्पना की गई है।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)

78. आयुष विभाग विभिन्न आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पतालों के माध्यम से, विशेषकर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा राहत, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरुकता उपलब्ध करवा रहा है। विभाग द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र और श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र के माध्यम से हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान की जा रही है।

खाद्य एवं औषध प्रशासन

79. हरियाणा सरकार ने करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दो सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के बारे में सर्वेक्षण करने और जागरुकता फैलाने का कार्य करेंगी।

80. मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2019–20 में 5,040.65 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि वर्ष 2018–19 के 4,486.91 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान परिव्यय पर 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रस्तावित परिव्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,126.54 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1,358.75 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 337.20 करोड़ रुपये, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 172.49 करोड़ रुपये और खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 45.67 करोड़ रुपये शामिल हैं।

शिक्षा

81. अच्छी एवं प्रासंगिक शिक्षा समग्र रूप से बच्चों और समाज के विकास की मजबूत नींव रखती है। षिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिष्चित करने के लिए 'बच्चों

को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम' लागू किया गया है। राज्य सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ–साथ समावेषी, समान, रोजगारपरक षिक्षा उपलब्ध करवाने पर बल दे रही है ताकि विद्यार्थियों को राश्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित किया जा सके।

82. स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वर्श 2018–19 के दौरान, सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को निःषुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत लगभग 22,000 छात्राओं के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

उच्चतर शिक्षा

83. राज्य अपनी निरन्तर विस्तारषील षैक्षणिक प्रणाली तथा मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के मजबूतीकरण, रुपान्तरण और सुधार के लिए की गई पहलों से हाल के वर्षों में उच्चतर शिक्षा में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

84. सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, सरकार द्वारा वर्श 2018–19 में 36 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए और इन महाविद्यालयों के लिए 590 नए पद सृजित किए गए। इसके अलावा, वर्श 2018–19 में राज्य द्वारा 2 नए विश्वविद्यालय नामतः आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम तथा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल स्थापित किए गए। इसी के साथ रोहतक स्थित सुपवा को नये स्वरूप में पं0 लख्मी चंद जी के नाम से हरियाणा में कला और साहित्य को नई ऊँचाईयों पर ले जाने के लिए उसको नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया है।

85. केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिला नीति के तहत, वर्श 2018–19 में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व–वित्तपोषित डिग्री कॉलेजों में 2.27 लाख विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। सरकार कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के नियोजन के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रही है तथा स्टार्टअप और उद्यमिता पर बल दिया गया है। केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिलों, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा सामग्री, स्मार्ट क्लास रूम और ई–लर्निंग प्रयोगशालाओं के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया गया है।

86. मैं बजट अनुमान 2019–20 में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल 12,307.46 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो संषोधित बजट

2018–19 के 11,256 करोड़ रुपये पर 9.3 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है। उच्च शिक्षा के लिए, मैं वर्ष 2019–20 के लिए 2,076.68 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो बजट अनुमान 2018–19 पर 17.1 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है।

तकनीकी शिक्षा

87. सरकार का विजन तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले इंजीनियरों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देष्य से प्रगतिशील पहल लागू करने में देश में ध्वजवाहक बनने के लिए प्रदेष में तकनीकी शिक्षा परिदृश्य का पुनरोद्धार करना, पुनर्जीवित करना और पुनःसृजित करना है। आगामी वर्षों में निम्नलिखित अभिनव पहलों का कार्यान्वयन प्रस्तावित हैः

क **हरित परिसर :** हरित परिसरों वाले संस्थान, जो ऊर्जा कुशल हों, नवीकरणीय ऊर्जा पर चलें और अपशिष्ट प्रबंधन करें।

ख **प्रोद्योगिकीय कार्यक्रम :** राज्य स्तर पर स्मार्ट हरियाणा हैकाथॉन/टेक कैरियर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उद्योगों को जमीनी स्तर पर पेश आने वाली समस्याओं के समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग **उत्कृश्टता केन्द्र** : **अधिक से अधिक** उत्कृश्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु उद्योगों के सीएसआर फंड्स का उपयोग करके विद्यार्थियों को उत्कृश्ट कौषल और प्रषिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों के साथ सहयोग।

घ पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और शिक्षण पद्धति में सुधार लाकर, ऑनलाइन संसाधनों और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का उपयोग करके विश्वविद्यालयों को विष्व स्तर के विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करना।

88. मैं बजट अनुमान 2019–20 में तकनीकी षिक्षा विभाग के लिए 512.72 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2018–19 के 465.70 करोड़ रुपये पर 10.1 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है।

खेल एवं युवा मामले

89. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने हाल ही में अन्तर्राश्ट्रीय खेलों में राश्ट्र का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राश्ट्रमण्डल खेल–2018 में भारत द्वारा जीते गए कुल 66 पदकों में से 22 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा हासिल किए गए। इसी प्रकार, एषियन गेम्स–2018 में भारत द्वारा जीते गए 69 पदकों में से 17 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। खेलो इण्डिया यूथ गेम्स–2019 में हरियाणा 178 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

90. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से, राज्य सरकार ने प्रदेष में योग्य खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती में श्रेणी–ए, बी व सी के पदों में 3 प्रतिषत तथा श्रेणी–डी में 10 प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार ने पारदर्षी ढंग से उत्कृश्ट खिलाड़ियों को नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा उत्कृश्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा षर्तें) नियम, 2018 तैयार किए हैं। विगत में किसी भी समय उपलब्धियां हासिल करने वाले 50 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी इन नियमों के तहत लाभान्वित होंगे। अब तक, कुल 71 खिलाड़ी नए नियमों के तहत नौकरी के लिए पात्र पाए गए हैं। हालांकि, पिछली सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान खेल कोटे के तहत केवल 41 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी थी।

91. जमीनी स्तर पर बच्चों में खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए, सरकार ने उन शैक्षिक संस्थानों में खेल नर्सरी खोलने का निर्णय लिया है, जिनके पास खेल का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। वर्तमान में 190 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। नई खेल नर्सरियां खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 1,000 खेल नर्सरियों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

92. सरकार ने राई में खेल विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक खेल प्रशिक्षण संस्थान होगा और यह खेल से संबंधित पाठ्यक्रमों और खेल अनुसंधान की जरूरतें पूरा करेगा।

93. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सरकार ने 8601 खिलाड़ियों को 213.16 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी है, जबकि पिछली सरकार ने 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान केवल 51.84 करोड़ रुपये वितरित किए थे। हमारे खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में 31 दिसम्बर, 2018 तक जीते गए पदकों के लिए इस वित्तीय वर्ष के अन्दर लगभग 40 करोड़ रुपये और वितरित किए जाने की सम्भावना है।

94. मैं बजट अनुमान 2019–20 में खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 401.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2018–19 पर 13.9 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

95. शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से भकलाना (हिसार), सूरेवाला (हिसार), भोजावास (महेंद्रगढ़), तिगांव (फरीदाबाद), दिघोट (पलवल), मोहना (फरीदाबाद), ऊंचा माजरा (गुरुग्राम), जुआं (सोनीपत), खेड़ा खेमावती, सफीदों (जींद), नचरोन (यमुनानगर) और अलिका (सिरसा) में 11 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से 10 नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी शुरू किए गए हैं।

96. 21 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों– अम्बाला, सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, महेन्द्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, कैथल, चरखी–दादरी, डूमरखां, जींद, फिरोजपुर झिरका, कुरुक्षेत्र, कालका स्थित बिटना, टोहाना, बहादुरगढ़ और सिरसा में दोपहिया चालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करके लड़कियों /महिलाओं को चालन कौशल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा तथा हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

97. 83 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित ग्रेडिंग प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सढौरा को देश में 7वां स्थान मिला।

98. हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा स्किलिंग अप–स्किलिंग री–स्किलिंग ऑफ यूथ एंड असेसमेंट (एसयूआरवाईए) योजना के तहत, 30,000 उम्मीदवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 16,388 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

99. 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0'–केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के तहत 35,009 उम्मीदवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 16,152

उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हरियाणा कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में शामिल है।

100. प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत, वर्ष 2018–19 के दौरान सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों आदि के 3,579 कार्यालयों को प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें 25,035 सीटें बनाई गई हैं, जिसके समक्ष अब तक 20,058 प्रशिक्षु नियोजित हुए हैं। इस संबंध में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है।

101. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदेश में 21 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा 24 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है।

102. मैं बजट अनुमान 2019–20 में **कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग** के लिए 680.6 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2018–19 के 547.83 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 24.1 प्रतिषत की वृद्धि दर्शाता है।

रोज़गार

103. "सक्षम युवा" योजना के रूप में प्रसिद्ध "शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना–2016" के तहत, 31 दिसंबर, 2018 तक कुल 69,336 (स्नातकोत्तर–40069 और स्नातक–29267) आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत से लेकर कुल 49,540 (स्नातकोत्तर –31,747 एवं स्नातक–17,793) पात्र आवेदकों को योजना की शुरुआत से मानद कार्य दिया गया है। दिसम्बर, 2018 तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में 188.63 करोड़ रुपये और मानदेय के रूप में 130.69 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, 3,860 सक्षम युवाओं ने एचएसडीएम के माध्यम से, 71 सक्षम युवाओं ने जिला रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण पूरा किया और 40,000 को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

104. सक्षम हरियाणा अभियान के एक भाग के रूप में, 16,332 बेरोजगार युवाओं को ओला और ऊबर के साथ समझौते के तहत कैब/टैक्सी ड्राइवरों (सक्षम सारथी) के रूप में नियोजित किया गया है, 466 को सुरक्षा गार्ड (सक्षम रक्षक) के रूप में रोजगार दिया गया है। विभाग ने 2019 के दौरान 25,000 बेरोजगार युवाओं को

रोजगार प्रदान करने के लिए 12 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की योजना बनाई है। पहला मेगा जॉब फेयर जनवरी, 2019 में करनाल में आयोजित किया गया।

105. सरकार ने "बेरोजगारी भत्ता योजना 2015" भी लागू की है, जिसके तहत सक्षम योजना में कवर न होने वाले 10+2 आवेदकों या इसके समकक्ष और स्नातक या इसके समकक्ष को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में, अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2018 तक 26,320 लाभार्थियों को 17.92 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

106. मैं बजट अनुमान 2019–20 में **रोजगार विभाग** के लिए 365.20 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2018–19 के 241.44 करोड़ रुपये के परिव्यय से 51.3 प्रतिषत अधिक है।

श्रम

107. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कामगारों के परिश्रामिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी की दरें जनवरी, 2019 से 8,827 से 11,266 रुपये प्रतिमाह तक संशोधित की गई हैं। सरकार का औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कामगारों को बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

108. मैं संशोधन अनुमान 2019–20 में श्रम विभाग के लिए 58.57 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

सिंचाई एवं जल संसाधन

109. सरकार ने "हर खेत को पानी' के विजन को साकार करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। सरकार ने पक्के खालों को कल्चरेबल कमांड एरिया (सीसीए) के 24 फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई की सघता में व्यापक वृद्धि हुई है।

110. मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए आरडी 0 से 1,45,250 तक समानान्तर दिल्ली षाखा (पीडीबी) के पुनरोद्धार हेतु 304 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, मानसून के दौरान लगभग 4000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी लाने के लिए वाहक

प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने हेतु दो परियोजनाओं पर कार्य षुरू हो गया है। ये परियोजनाएं हैं– आरडी 68,220 (हमीदा हेड) से आरडी 1,90,950 (इन्द्री हेड) तक पश्चिमी यमुना कैनाल मेन लाइन लोअर तथा आरडी 0–1,54,000 तक पष्चिमी यमुना कैनाल मुख्य शाखा। ये दोनों परियोजनाएं जून, 2019 से पहले पूरी होने की सम्भावना है।

111. राज्य में आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए, सरकार की वर्श 2019–20 से 2023–24 तक 2300 जीर्ण–शीर्ण पुलों के पुनर्निर्माण/ नवीनीकरण की योजना है। सरकार ने मेवात क्षेत्र की पेयजल आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए मेवात जलापूर्ति चैनल की घोषणा की है।

112. जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पम्प हाउस और नहरों की क्षमता में सुधार की 143 करोड़ रुपये लागत की परियोजना वर्श 2018–19 के दौरान पूरी हो चुकी है। लोहारू नहर प्रणाली की क्षमता को बहाल करने के लिए, लोहारू और बधवाना नहर प्रणाली के विभिन्न पंपों और इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटकों के पुनरोद्धार और बदलने का कार्य किया जा रहा है।

113. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान निष्पादन के लिए 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 220 चैनलों के प्रमुख पुनरोद्धार कार्य करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान 400 करोड़ रुपये की लागत से 29 डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर, फीडर व नहरों के सुधार के प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं।

114. कृषि उद्देश्यों के लिए पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी अपनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा, शाहाबाद और पेहोवा में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटों से उपचारित पानी के सूक्ष्म सिंचाई में उपयोग की एक पायलट परियोजना तैयार की गई है। शाहाबाद और पेहोवा स्थलों को चालू कर दिया गया है तथा लाडवा में कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। यह परियोजना बिजली संसाधनों पर अतिरिक्त भार डाले बिना सोलर/ग्रिड पावर पर आधारित है। सरकार ने इन प्रयासों को और गहन करने के लिए ''हरियाणा तालाब विकास प्राधिकरण'' को अधिसूचित किया है।

115. राज्य सरकार रावी–ब्यास के पानी का अपना न्यायोचित हिस्सा लेने के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देष्य के लिए मैंने बजट

अनुमान 2019–20 में 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। हालांकि, यदि निधियों की और मांग हुई तो सरकार उसे भी पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

116. मैं, वर्श 2019–20 में सिंचाई व जल संसाधन विभाग के लिए 3,324.51 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2018–19 के 3,130. 63 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6.2 प्रतिषत अधिक है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

117. वर्ष 2018–19 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 157 चिह्नित बस्तियों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की गई, जबकि वर्ष 2019–20 में नियोजित परियोजनाओं के माध्यम से 294 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति का प्रस्ताव है।

118. वर्तमान में, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से छः जिलों नामतः रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, पलवल, नूंह (मेवात) और जींद में 410 गांवों और 79 ढ़ाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 1059.33 करोड़ रुपये के कुल निवेष से 13 योजनाएं प्रगति पर हैं।

119. **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले** राज्य के सभी 80 कस्बों में पाइप आधारित जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश के 78 कस्बों के प्रमुख भागों में सीवरेज सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जबकि दो कस्बों, भूना और बराड़ा में सीवरेज सुविधाएं बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

120. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले तीन कस्बों नामतः फर्रूखनगर, नूंह और हेली मण्डी–पटौदी में 205.05 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजनाएं चालू की गई हैं। प्रदेष के 9 कस्बों नामतः सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, गन्नौर, होडल और समालखा की सीवरेज प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा नवम्बर, 2018 में 72.11 करोड़ रुपये की 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

121. मैं, वर्श 2019–20 में **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग** के लिए 3,605.32 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जबकि वर्श 2018–19 का संषोधित अनुमान 3,590.47 करोड़ रुपये था।

बिजली

122. सरकार सभी को 24ग7 बिजली उपलब्ध करवाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। 'म्हारा गांव, जगमग गांव' योजना के तहत 675 फीडरों के अधीन आने वाले 3205 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के सभी गांवों में 24ग7 बिजली आपूर्ति की जा रही है।

123. उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) स्कीम के तहत राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। वर्ष 2016–17 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा 30.02 प्रतिशत था, जो वर्श 2018 में घटकर 16.9 प्रतिशत रह गया अर्थात इसमें 13.12 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2017–18 के दौरान वितरण कम्पनियों ने लक्षित वर्ष से दो वर्ष पहले ही वित्तीय बदलाव हासिल कर लिया और 412.34 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

124. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018–19 में, सरकार ने बिजली क्षेत्र में कई नई पहल की हैं, इनमें लम्बित बिजली बकाया की समस्या के समाधान के लिए षुरू की गई **'बिल निपटान योजना'** षामिल है। इस योजना के तहत 20 किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं और 5 किलोवाट तक के स्वीकृत भार वाले गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के जून, 2005 से पहले के सभी लम्बित बिल माफ कर दिए गए। 19 जनवरी, 2019 तक 13.48 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का विकल्प चुना और 437.52 करोड़ रुपये जमा करवाए, जबकि 3808.61 करोड़ रुपये माफ किए गए तथा कुल 4246.12 करोड़ रुपये की राशि का निपटान किया गया है।

125. पहली बार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी प्रदान कर बिजली की दरें घटाकर लगभग आधी की गई, इससे 41.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 90 प्रतिषत से अधिक है। भुगतान के विभिन्न ऑनलाइन तरीकों की शुरुआत से डिजिटल लेनदेन की संख्या अप्रैल, 2018 के 43. 30 लाख से बढ़कर दिसंबर, 2018 में 57.80 लाख हो गई है।

126. राज्य ने इस क्षेत्र के प्रबन्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में एक लम्बी छलांग लगाई है। पानीपत शहर में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजना लागू की गई है,

जिसके तहत 10,000 उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। गुरुग्राम में एक और स्मार्ट ग्रिड परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है। इससे लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, हरियाणा डिस्कॉम ने जुलाई, 2018 में अगले 3 वर्षों में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

127. राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2018 तक प्राप्त 85,000 लम्बित आवेदनों के संबंध में कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत, 10 बीएचपी तक के आवेदकों के पास डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टिड बिजली कनेक्शन या हरेडा से ऑफ–ग्रिड सोलर पावर्ड कनेक्शन लेने का विकल्प होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में नए नलकूप कनेक्शन अनिवार्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और ऊर्जा कुशल पंप सेट के साथ दिए जाएंगे।

128. बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, वर्ष 2019–20 में 19 सब–स्टेशन बनाने, 89 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने तथा 1000 से अधिक सर्किट किलोमीटर सम्प्रेषण लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।

129. बिजली के उचित वितरण के लिए पिछले चार वर्षों में, 33 केवी के 140 नए सब–स्टेशन स्थापित किये गए, 386 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई और 1,555 सर्किट किलोमीटर की नई 33 केवी लाइनें बिछाई गई। वर्ष 2019–20 में, 95 नए सब–स्टेशन बनाने, 107 मौजूदा 33 केवी सब–स्टेशनों के संवर्धन तथा नई 700 किलोमीटर लम्बी 33 केवी लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।

नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा

130. राज्य सरकार द्वारा प्रदेष में जैव ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2018 में एक जैव ऊर्जा नीति अधिसूचित की गई। इस नीति के तहत वर्ष 2022 तक 150 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

131. सरकार ने स्वंतत्र बिजली परियोजनाओं को 49.8 मेगावाट क्षमता की चार पराली आधारित जैव ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की हैं, जिनके वर्ष 2020 तक चालू होने की सम्भावना है। इन परियोजनाओं में लगभग 5.55 लाख टन पराली की वार्षिक खपत होगी। सरकार ने वर्ष 2023 तक 1,000 टीपीडी क्षमता के कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित करने के लिए इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन

लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 4.0 लाख टन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा।

132. वर्ष 2018–19 के दौरान, 18.0 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान 30 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, 278 गौशालाओं में 1,606 केवी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।

133. हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार शुरू किया है। इस पुरस्कार के लिए वैज्ञानिकों का चयन इंटरनेशनल सोलर एलायंस के 121 सदस्य देशों में से किया जाएगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह इंटरनेशनल सोलर एलायंस भारत की धरती पर अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका यू.एन.ओ. की तर्ज़ पर हरियाणा प्रदेश को अपने यहां पर स्थान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

134. राज्य सरकार किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें सौर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रदान करने की एक योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को 2 एचपी और 5 एचपी के सौर वाटर पम्पिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे, जिन पर 75 प्रतिशत राज्य सब्सिडी होगी तथा 25 प्रतिशत राशि उपयोगकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

135. सरकार की 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ–ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने की योजना है जिसे 75 प्रतिशत राज्य सब्सिडी के साथ नाबार्ड से ऋण लेकर दो चरणों में लागू किया जाएगा। वर्ष 2018–19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019–20 में दूसरे चरण में 35000 पंप लगाने की योजना है।

136. राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी के बोझ को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने मौजूदा बिजली संचालित नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए, दो फीडरों नामतः जिला यमुनानगर में मारूपुर फीडर तथा करनाल में बियाना फीडर में डिस्कॉम्स कैपेक्स मॉडल के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई है। सरकार द्वारा 166 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमषः 5 किलोवाट

तथा 10 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि इनमें निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा सके।

137. आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाइट तथा पंखों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, सरकार ने प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 एलईडी लाइट, 2 पंखों और 2 यूएसबी पोर्टस वाली सौर गृह प्रणालियां स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रथम चरण में, वर्ष 2018–19 के दौरान 9500 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सौर गृह प्रणालियां लगाई जा रही हैं।

138. मैं, बिजली विभाग के लिए 12988.61 करोड़ रुपये और नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए 475.91 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

139. हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के समान और निष्पक्ष सुधार के लिए वर्ष 2015–16 से कार्यक्रम शुरू किया है। नवंबर, 2018 तक कुल 2,978 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया गया है। चालू वर्श में आवश्यकतानुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के सुधार का कार्य जारी रहेगा।

140. हरियाणा सरकार ने रेलवे ओवर तथा अंडर ब्रिज का प्रावधान करके मानवरहित रेलवे फाटकों को समाप्त करने का कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय रेलवे के सहयोग से, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 तक सभी 167 मानवरहित फाटकों को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

141. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड की सहायता से, 848.92 करोड़ रुपये की लागत से 886.82 किलोमीटर लंबाई की 121 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से 772.13 करोड़ की लागत के कार्य पूरे हो चुके हैं।

142. केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा में 561 किलोमीटर लम्बी सात सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। इसके अलावा, भारतमाला परियोजना के तहत 124.76 किलोमीटर की लंबाई वाली चार सड़कों तथा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के तहत दो सड़कों–इस्माईलाबाद से नारनौल तक तथा सोहना से वड़ोदरा तक, को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

143. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंबाला से कैथल तक एनएच–65 को चौड़ा करके 4 लेन का बनाया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा जींद–नरवाना–पंजाब बॉर्डर रोड को 4 लेन तक चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें जींद शहर का बाईपास भी शामिल है।

144. 135 किलोमीटर लंबे कुंडली–गाजियाबाद–पलवल एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। पंचकुला से यमुनानगर तक एनएच –73 को 4 लेन करने का कार्य पूरा हो चुका है। मुकरबा चौक (दिल्ली) से पानीपत तक 70 किलोमीटर लम्बी 8 लेन सड़क निर्माणाधीन है।

145. वर्ष 2018–19 में, रोहतक–पानीपत रेलवे लाइन पर रोहतक शहर में देश की पहली एलिवेटिड रेलवे लाइन का काम षुरू हुआ। रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन का कार्य भी प्रगति पर है।

13:00 बजे

146. राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रदेष में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः 'हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड' का गठन किया गया है। निगम ने यमुनानगर–चंडीगढ़, सोहना–नूंह–अलवर, फरूखनगर–झज्जर–चरखी दादरी, जींद–हिसार, करनाल–यमुनानगर, भिवानी–महम, इंटिग्रेटिड एविएशन हब हिसार और पलवल से सोनीपत तक हरियाणा इंडस्ट्रियल कोरिडोर से रेल कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य किया है।

147. मैं, वर्श 2019–20 में **लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग** के लिए 3626.21 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2018–19 के 3169.70 करोड़ रुपये की तुलना में 14.4 प्रतिषत अधिक है।

वास्तुकला

148. यह विभाग विभिन्न प्रकार के भवनों की योजना और नवीनतम डिजाइन बनाने में लगा हुआ है। सोलर वाटर हीटिंग और वर्शा जल संग्रहण प्रणालियों के प्रावधान को भवन डिजाइन का अभिन्न भाग बनाया जा रहा है। विभाग दिव्यांगों के लिए बाधा रहित परिवेष उपलब्ध करवाने के लिए सभी नये भवनों की योजना हरियाणा भवन संहिता–2017 के अनुरूप बना रहा है। इन भवनों को ऊर्जा दक्ष और ईको

फ्रेंडली बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में दिए गए मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

149. मैं, **वास्तुकला विभाग** के लिए वर्श 2019–20 में 11.18 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जबकि बजट अनुमान 2018–19 में यह 10.20 करोड़ रुपये था।

नागरिक उड्डयन

150. हिसार में 3500 एकड़ क्षेत्र में एक एविएषन हब विकसित करने का प्रस्ताव है। इस हब में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग तथा स्थिर संचालन आधार सुविधाएं, प्रषिक्षण एवं सिमुलेषन सेंटर, एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी और एयरोस्पेस/प्रतिरक्षा विनिर्माण पार्क की सुविधा होगी।

151. हिसार हवाई अड्डे को तीन चरणों में इंटरनेषनल एविएषन हब बनाने की योजना है। प्रथम चरण में, वर्तमान एयरफील्ड का लाईसैंसषुदा घरेलू हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किया गया है, जिसका 15 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। इसके बाद, दूसरे चरण में बड़े हवाई जहाजों के रखरखाव, मरम्मत, ओवरहालिंग, पार्किंग और संचालन उप आधार के लिए वर्तमान पट्टी को 4000 से बढ़ाकर 10000 फुट किया जा रहा है।

152. मैं, वर्श 2019–20 में नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 214.10 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2018–19 के 141 करोड़ रुपये के परिव्यय से 51.9 प्रतिषत अधिक है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

153. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में डिजिटल इण्डिया के विजन के अनुरूप नागरिकों को उनके घर–द्वार पर नकदी रहित, मानव हस्तक्षेप रहित और कागज रहित ढंग से सरकारी सेवाएं मुहैया करवाकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।

154. सरकार ने इंटरनेट कनैक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए 6188 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिक फाइबर बिछाई है। प्रदेश में बी2सी और जी2सी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए 16,141 अटल सेवा केंद्र (ग्रामीण क्षेत्रों में 10,930 और शहरी क्षेत्रों में 5211) पंजीकृत किए गए हैं। इस समय 37 विभागों, बोर्डों और निगमों की कुल 425

जी2सी सेवाएं सरल प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 107 जी2सी सेवाएं केन्द्र सरकार के **उमंग** (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेषन फार न्यू–एज गवर्नेंस) मोबाइल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।

155. न्यायालय के मामलों की स्थिति की निगरानी के लिए एनआईसी हरियाणा द्वारा लिटिगेषन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिसे अदालत के मामलों से संबंधित डाटा प्राप्त करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आईटी प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।

156. हरियाणा मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर गुरुग्राम में तीन इन्क्यूबेशन सेंटर–10ज्ञ स्टार्टअप वेयरहाउस (नैसकॉम के साथ), मोबाइल 10ग हब (आईएएमएआई के साथ) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एमआईईटीवाई और नैसकॉम के साथ) स्थापित किए गए हैं और अब तक 41 स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके हैं। सात विष्वविद्यालयों में सात इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। हर सेंटर पर 30 लाख रुपये खर्च होंगे।

157. गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इण्डिया का सेंटर पहले से ही संचालित है। दूसरा एसटीपीआई सेंटर पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है।

158. नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के सहयोग से राज्य जीआईएस सेवाएं प्रदान करने की क्षमता विकसित कर रहा है। हरपथ मोबाइल एप्प इस परियोजना की शुरुआती सफलताओं में से एक है, जो नागरिकों को सड़क की स्थिति अर्थात क्षतिग्रस्त सड़क तथा दुर्घटना सम्भावित स्थानों की अवस्थिति आधारित जानकारी फोटो के साथ देने में सक्षम बनाता है।

159. हरियाणा आधार बाल नामांकन में पहले स्थान पर और आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अग्रणी है।

160. सरकार ने समूचे आईटी/टेलीकॉम/आईटीईएस स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली चार नीतियां तैयार व अधिसूचित की हैं अर्थात् आईटी एंड ईएसडीएम पॉलिसी, एंटरप्रिन्योर एण्ड स्टार्टअप पॉलिसी, कम्यूनिकेशन एण्ड कनेक्टिविटी पॉलिसी और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। हरियाणा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क और कैषलैष हरियाणा कन्सोलिडेशन पोर्टल की कई मंचों पर सराहना हुई है।

161. अगले 5 वर्षों में सरकार का आईटी और ईएसडीएम क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने, 1.2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, जीएसडीपी में आईटी और ईएसडीएम सेक्टर के योगदान को 9.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने तथा कम से कम 500 स्टार्टअप को इन्क्यूबेट करने और नागरिकों, व्यवसायों और हरियाणा सरकार के लिए एक सुरक्षित और लचीले साइबरस्पेस का निर्माण और संवर्धन करने की परिकल्पना की है।

162. मैं, बजट अनुमान 2019–20 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 152.75 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जोकि 2018–19 के संषोधित अनुमान 114.64 करोड़ रुपये से 33.2 प्रतिषत अधिक है।

उद्योग एवं वाणिज्य

163. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने प्रदेश को विकास–पथ के अगले पायदान तक ले जाने के लिए ऐतिहासिक 'नई उद्योग प्रोत्साहन नीति–2015' (ईपीपी) लागू की है। इस नीति को भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया', डिजिटल इण्डिया और 'स्किलिंग इंडिया' अभियानों के साथ संरेखित किया गया है और प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

164. हरियाणा सरकार ने फार्मास्युटिकल और टैक्सटाइल पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा सरकार की शीघ्र ही लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी लागू करने की योजना है।

165. हरियाणा सरकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसमें बेहतरीन वैश्विक मानकों के अनुरूप न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन द्वारा निर्देशित 'कारोबारी सुगमता' हो। व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के महत्व को समझते हुए, राज्य ने प्रमुख विनियामक सुधार किए है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 2015 के 14वें स्थान से 2016 में छठे स्थान पर पहुंच गया। भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017–18 रैंकिंग में हरियाणा को तीसरा तथा उत्तर भारत में प्रथम स्थान दिया गया है।

166. राज्य सरकार ने अपना स्वयं का मिनी कलस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत सांझा सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए

2 करोड़ रुपये की परियोजना तक 90 प्रतिशत सहायतानुदान दिया जाता है, जिससे राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है।

167. दिल्ली से यातायात का दबाव कम करने के लिए, 135 किलोमीटर लम्बे केएमपी एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के तीन तरफ से गुजरता है, को नवंबर, 2018 से चालू कर दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर इस परियोजना का एक उज्ज्वल पक्ष है, जो 50 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित निवेश से एक्सप्रेसवे के साथ–साथ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार 'पंचग्राम' परिकल्पना के भाग के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ–साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 शहरों के विकास पर कार्य कर रही है। इस परिकल्पना को गति देने के लिए, पंचग्राम प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है।

168. हरियाणा सरकार ने खरखौदा (सोनीपत) के निकट लगभग 3,300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोहना में 1400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित किया है। ये टाउनशिप गुरुग्राम–सोहना–अलवर राजमार्ग से जुड़े होने के साथ–साथ केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास होंगे, इनसे औद्योगिक कॉरिडोर में विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।

169. राज्य सरकार द्वारा दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर प्रोजेक्ट (डीएमआईसी) के सहयोग से, नारनौल, महेंद्रगढ़ में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 1 बिलियन अमरीकी डालर की प्रस्तावित लागत से एक एक इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब भी विकसित किया जा रहा है। राज्य ने गुरुग्राम में 15 बिलियन के सम्भावित निवेश से ग्लोबल स्मार्ट सिटी तथा डीएमआईसीडीसी के तहत मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे अर्ली बर्ल्ड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई)

170. प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद निर्यात के मामले में राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 1967–68 के दौरान 4.5 करोड़ रुपये के निर्यात से शुरू होकर, वर्ष 2017–18 में राज्य का निर्यात लगभग 89,006 करोड़ रुपये हो गया। प्रदेश में कोई भी बंदरगाह न होने के बावजूद हरियाणा निर्यात के मामले में देश में 5वें स्थान पर है।

171. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान, 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 29 विशाल इकाइयां स्थापित की गई हैं। 6,884 करोड़ रुपये के निवेश से 14,285 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक के निवेश के 138 बड़े उद्यम स्थापित हुए तथा इनमें 5140 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 30,450 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ। इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये तक के निवेश के 42,021 एमएसएमई उद्यम भी स्थापित हुए, जिनमें 11,152 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 2.66 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए।

172. 28,254 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की क्षमता के साथ 22,693 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स समेत 179 एमओयू क्रियान्वित हुए हैं या कार्यान्वयन के अधीन हैं।

173. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के लिए मैं, बजट अनुमान 2019–20 के लिए 406.72 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2018–19 में 399.86 करोड़ रुपये था।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और वन

174. हरियाणा जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास लक्ष्यों पर राज्य कार्य योजना के अनुरूप प्रदेष के लोगों, विशेष रूप से जनसंख्या के कमजोर वर्गों में पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियों के प्रति लचीलापन, जागरूकता और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने का प्रयास करेगा।

175. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित "स्केलिंग–अप क्लाइमेट स्मार्ट विलेजिज" नामक एक परियोजना के तहत 100 जलवायु स्मार्ट गांव स्थापित किए जाएंगे।

176. हरियाणा के लिए 27.14 करोड़ रुपये की लागत से फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निर्माण के लिए एक योजना स्वीकृत की गई। किसानों को कटाई उपरान्त फसल अवशेष जलाने की प्रथा बंद करने के लिए शिक्षित करने हेतु अक्तूबर, 2018 में अंबाला में एक शिविर का आयोजन किया गया।

177. जलवायु परिवर्तन सेल को मजबूत करने के लिए रणनीतिक ज्ञान केंद्र की स्थापना, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण सेल की स्थापना, आईएमटी, मानेसर, गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और पर्यावरण सूचना प्रणाली हब के निर्माण की चार नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

178. मैं बजट अनुमान 2019–20 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 13.09 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो संशोधित अनुमान 2018–19 में 8.07 करोड़ रुपये था।

वन

179. वन विभाग ने पतंजलि योगपीठ के सहयोग से मोरनी की पहाड़ियों में एक हर्बल पार्क की स्थापना की है, जहां विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे रोपित किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान 550 हैक्टेयर पर हर्बल प्रजातियों का पौधारोपण किया गया है और औषधीय पौधों की अंकुरण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक हाईटेक इंडस्ट्री स्थापित की गई है।

180. वर्ष 2018–19 के दौरान प्रदेश में 'पौधागिरी' अभियान शुरू किया गया जिसके तहत छठी से 12वीं कक्षाओं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने घरों में या आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया।

181. सरकार ने जिला कुरुक्षेत्र के गांव थाना में ब्रह्मसर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्मसर आर्द्रभूमि को कम्यूनिटी रिजर्व घोषित किया है और इस वर्ष इस स्थल पर पुनरोद्धार गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसके अलावा, भिंडावास वन्य प्राणी विहार को इसकी पूर्ण क्षमता तक विकसित किया जा रहा है।

182. एचएआरएसएसी की सहायता से ब्लॉक फॉरेस्ट का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है और इस वर्ष 'स्ट्रिप फॉरेस्ट' का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

183. बजट अनुमान 2019–20 के लिए वन विभाग हेतु 415.39 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो संशोधित अनुमान 2018–19 के 369.30 करोड़ रुपये के परिव्यय से 12.5 प्रतिशत अधिक है।

खान एवं भूविज्ञान

184. सरकार ने खनिज संसाधनों के व्यवस्थित दोहन के लिए जनहितैषी परिवर्तन किए हैं, जिसका उद्देश्य पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से खनिज ठेका

देना और पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास के समग्र हित में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है। प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता के लिए विभाग ने ई–नीलामी प्रणाली को अपनाया है।

185. खनन के व्यवसाय में रुचि रखने वाले छोटे उद्यमियों/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विभाग ने बड़े क्षेत्रों की बजाय छोटी खनन इकाइयों/खण्डों का खनिज ठेका देना शुरू किया है।

186. विभाग द्वारा स्टोन क्रशर को लाइसेंस प्रदान करने के साथ–साथ नए स्थापित होने वाले ईंट भट्ठों के लिए परमिट भी प्रदेश की एचईपीसी–सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन देने शुरू कर दिए गए हैं।

187. जिला पंचकुला में परीक्षण आधार पर ई–रवाना प्रणाली शुरू की गई है जो वर्ष 2019 में अन्य जिलों में भी शुरू होने की सम्भावना है।

188. वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री की लागत में कमी आई है। अब, जनसाधारण को उचित दरों पर निर्माण सामग्री मिल रही है।

189. बजट अनुमान 2019–20 के लिए **खान एवं भूविज्ञान** विभाग हेतु 101.55 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो बजट अनुमान 2018–19 के 70.38 करोड़ रुपये के परिव्यय से 44.3 प्रतिशत अधिक है।

शहरी स्थानीय निकाय

190. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, शहरी स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में स्वशासन, भौतिक आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान है। सरकार ने 2018–19 में पांच नई नगरपालिकाएं नामतः कुण्डली, सढ़ौरा, बास, इस्माइलाबाद और सिसाय अधिसूचित की हैं। तीन चयनित शहरों फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

191. सरकार ने ठोस कचरे के प्रबन्धन के लिए समूह आधारित दृश्टिकोण को अपनाया है और दो समूहों नामतः गुरुग्राम–फरीदाबाद और सोनीपत–पानीपत का कार्य आवंटित कर दिया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ के कचरे के प्रसंस्करण के

लिए गुरुग्राम में एक सुविधा विकसित की जा रही है और इसी तरह की सुविधा अन्य नगर निगमों के लिए भी विकसित करने की योजना है।

192. अटल पुनरुत्थान और शहरी परिवहन (अमरूत) के तहत हरियाणा के 18 कस्बों के लिए भारत सरकार ने 2,565.74 करोड़ रुपये की राज्य वार्शिक कार्य योजना स्वीकृत की है। इसमें से 2,274.50 करोड़ रुपये की लागत के 41 कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। अमरूत स्कीम के तहत विभिन्न पालिका सुधार करने के लिए हरियाणा को 6.40 करोड़ रुपये की राषि प्रोत्साहन स्वरूप मिली है।

193. राज्य ने सरल पोर्टल पर 120 सेवाएं ऑनलाइन षुरू की हैं, 70 से भी अधिक सेवाएं प्रक्रियाधीन हैं और 50 अन्य सेवाएं षुरू करने की योजना बनाई जा रही है। हरियाणा की सभी पालिकाओं की ऑनलाइन सेवाओं के लिए पीपीपी आधारित पेमेंट गेटवे मॉडल को भारत सरकार के प्रषासनिक सुधार एवं लोक परिवाद विभाग ने नेषनल ई–गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए सूचीबद्ध किया है। अक्तूबर, 2018 में राज्य की सभी षहरी स्थानीय निकायों में केन्द्रीयकृत जीआईएस आधारित सम्पत्ति कर सर्वे षुरू किया गया। इससे सम्पत्ति आधारित कर राजस्व में बढ़ौतरी होगी और सम्पत्ति कर संग्रहण में पारदर्षिता और तीव्रता आएगी।

194. राज्य सरकार ने रिजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कोरिडोर के दिल्ली–गुरुग्राम–एसएनबी (षाहजहांपुर–नीमराना–बहरोड़) कोरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है। इससे राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कस्बों के निवासियों को आवागमन की आरामदायक और तीव्र सुविधा मिलेगी और परिवहन मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी। प्रथम चरण में, तीन आरआरटीएस कोरिडोर नामतः (प) दिल्ली–पानीपत, (पप) दिल्ली–गुरुग्राम–अलवर और (पपप) दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ को क्रियान्वित करने को प्राथमिकता दी गई है। मैंने वर्श 2019–20 में परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

195. मैं षहरी स्थानीय निकायों हेतु वर्श 2019–20 के लिए 3994.95 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ।

नगर एवं ग्राम आयोजना

196. लाइसेंसषुदा कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्लॉट और फ्लैट के आवंटन के लिए मई, 2018 में एक व्यापक नीति बनाई गई। आवासीय प्लॉटिड कॉलोनियों में 20 प्रतिषत प्लॉट और ग्रुप हाऊसिंग कॉलोनियों में 15 प्रतिषत

आवासीय फ्लैट ईडब्लयूएस के लिए आरक्षित होंगे। दोनों ही मामलों में आवंटन आवास बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

197. हरियाणा में मैट्रो परियोजनाओं को और बढ़ावा देने के लिए नरेला से कुंडली, फरीदाबाद से गुरुग्राम, गुरूग्राम के हरियाणा षहरी विकास प्राधिकरण सिटी सेंटर से रेलवे स्टेषन, बहादुरगढ़ से सांपला, बाढ़सा से द्वारका और गुरुग्राम में दक्षिणी परिधि सड़क पर मैट्रो का विस्तार करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

198. वर्श 2019–20 के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के लिए 1,873.79 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है, जोकि संषोधित अनुमान 2018–19 के1,364.24 करोड रुपये के परिव्यय से 37.4 प्रतिषत अधिक है।

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषाएं

199. मीडिया राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन साधारण तक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, सरकार ने 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले तथा 20 वर्ष से अधिक के अनुभव वाले मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना के तहत 118 मीडिया कर्मियों की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए 5 से 20 लाख रुपये तक का सावधि/समूह बीमा शुरू किया गया है। 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 5 लाख रुपये का कैशलेस मेडिक्लेम देना शुरू किया गया है। मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कंप्यूटर और अन्य सम्बद्ध बुनियादी ढांचे से युक्त हाइटेक मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं।

200. राज्य सरकार ने हिंदी आंदोलन, 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की योजना भी शुरू की है। इस स्कीम के तहत 206 सत्याग्रहियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है।

201. वर्तमान सरकार हरियाणा को फिल्म–संबंधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के कार्य में लगी हुई है। प्रदेष को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने के लिए एक फिल्म नीति लागू की गई है।

202. वर्श 2019–20 के लिए सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषाएं विभाग के लिए 216.96 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।

गृह

203. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, कानून–व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक सौहार्द कायम रखना राज्य सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य और दायित्व है। इसके लिए, सरकार ने ''हरियाणा 100'' की एक प्रमुख योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश भर में 24ग7 आधार पर पुलिस आपातकालीन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए पंचकुला में पूरे प्रदेश के लिए केन्द्रीकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है।

204. केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अनुशंसित पद्धति पर, पुलिस में सिपाही और उप–निरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिए प्रदेश में एक 'पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया' शुरू की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7,520 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

205. प्रदेष में 31 नये महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं और इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसके अलावा, 46 नये पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। 5500 विषेश पुलिस अधिकारियों की सेवाएं ली गई हैं और 4500 की सेवाएं लेना पाइपलाइन में है।

206. वर्श 2019–20 के लिए गृह विभाग के लिए 5,150.51 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जो बजट अनुमान 2018–19 के 4,791.14 करोड़ रुपये के परिव्यय से 7.5 प्रतिषत अधिक है। प्रस्तावित परिव्यय में पुलिस के लिए 5058.61 करोड़ रुपये, गृह रक्षी के लिए 32.49 करोड़ रुपये और राज्य सर्तकता ब्यूरो के लिए 59.41 करोड़ रुपये षामिल हैं। इसके अलावा न्याय प्रशासन के लिए 1201.26 करोड़ रुपये और कारागार के लिए 398.47 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

पर्यटन और संस्कृति

207. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत कुरुक्षेत्र का चयन किया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित

सरोवर के विकास और कुरुक्षेत्र के शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास को सूचीबद्ध किया है।

208. हरियाणा सरकार ने राज्य की कला, धरोहर और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कला और सांस्कृतिक मामले 'कलश' (कला एवं संस्कृति हरियाणा) नीति स्वीकृत की है।

209. बजट अनुमान 2019–20 में पर्यटन विभाग के लिए 48.92 करोड़ रुपये और सांस्कृतिक मामले विभाग के लिए 19.14 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

210. हरियाणा खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में निरंतर एक अधिशेष राज्य बना हुआ है। रबी खरीद सीजन 2018–19 के दौरान केन्द्रीय भण्डार के लिए 1735 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87.54 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। रबी खरीद सीजन 2019–20 के दौरान विभिन्न खरीद एजेंसियों ने 85.00 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के व्यापक प्रबन्ध कर लिए हैं। खरीफ खरीद सीजन 2018–19 के दौरान सामान्य और ग्रेड 'ए' (लेविएबल) किस्म के 58.64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद क्रमषः 1750 रुपये और 1770 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई।

211. राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के आधार पर मार्च, 2018 से अम्बाला जिले के नारायणगढ़ और बराड़ा खण्डों में पोशणयुक्त आटे का वितरण षुरू किया है। इसके सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार ने इसे अम्बाला और करनाल जिलों के सभी खण्डों में लागू करने का निर्णय लिया है।

212. पंचकुला जिले में आधार सक्षम अदायगी प्रणाली (एईपीएस)/ नकदी रहित लेनदेन की पायलट परियोजना क्रियान्वित की जा चुकी है और दिसम्बर, 2018 से सम्पूर्ण जिले में लागू की जा चुकी है। निकट भविश्य में इसे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा।

ग्रामीण विकास

213. महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के तहत पहली अप्रैल, 2018 से, इस स्कीम में लगे श्रमिकों को न्यूनतम 281 रुपये की दिहाड़ी दी जाती है। चालू वर्श के दौरान (21 जनवरी, 2019 तक) 292.59 करोड़ रुपये खर्च

करके 55.42 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। प्रदेष के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये 25.06 लाख मानव दिवस और महिलाओं के लिये 27.34 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

214. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत, 2,586 मकानों का निर्माण किया गया है और 11,628 मकान निर्माणाधीन हैं। पीएमएवाई–जी के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को मकान के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण किया है और अब तक एक लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है।

215. विधायक आदर्ष ग्राम योजना के तहत वर्श 2018–19 के दौरान, 42 विधायकों द्वारा गांवों का चयन किया गया। दिसम्बर, 2018 में, सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रति वर्श दो करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है।

216. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिषन (एसपीएमआरएम) के तहत, रुर्बन कलस्टर चिह्नित और विकसित किये जायेंगे। ये क्लस्टर चिह्नित आर्थिक गतिविधियां चलाकर, कौषल तथा स्थानीय उद्यमषीलता विकसित करके और बुनियादी जन सुविधायें उपलब्ध करवाकर विकसित किये जायेंगे। इस स्कीम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 कलस्टरों में 152 गांवों को षामिल किया गया है। इन गांवों में 214 कार्य षुरू किये गये हैं और 12 पूरे हो चुके हैं।

217. प्रधानमंत्री कृशि सिंचाई योजना राज्य के 13 जिलों में चलाई जा रही है। वर्श 2018–19 के दौरान (दिसम्बर, 2018 तक) इन वाटरषैड प्रोजेक्ट्स में विभिन्न गतिविधियों पर 13.86 करोड़ रुपये की राषि खर्च की गई है।

218. पानी के अत्यधिक दोहन वाले खण्डों में गिरते भूजल स्तर के रीचार्ज के लिये जल संरक्षण और जल संग्रहण कार्यों हेतु जल संरक्षण और जल संग्रह स्कीमें चलाई जा रही हैं। वर्श 2018–19 के दौरान (दिसम्बर 2018 तक) 4.07 करोड़ रुपये की राषि खर्च की गई है।

219. प्रदेष के जल के अत्यधिक दोहन वाले और नाजुक, 36 चिह्नित खण्डों में जल संरक्षण और संग्रहण कार्य के लिये, वर्श 2019–20 से सिंचाई दक्षता कोश–नाबार्ड स्कीम क्रियान्वित की जायेगी।

220. ग्रामीण आजीविका मिषन के तहत, 9756 नये स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया गया है और 3762 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड

उपलब्ध करवाया गया है। वर्श 2018–19 के दौरान, (दिसम्बर 2018 तक) 28.58 करोड़ रुपये की राषि खर्च की गई है।

221. स्टार्ट–अप विलेज इंटरप्रिन्योरषिप प्रोग्राम (एसवीईपी) का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण उद्यमों को षुरू करने में सहायता और सहयोग करना है। इस स्कीम के तहत, वर्श 2018–19 के दौरान, 433 उद्यम स्वीकृत किये गये और एसवीईपी के सघन क्रियान्वयन के लिये चार खण्डों को सम्मिलित किया गया है।

222. दीनबन्धु ग्राम उदय योजना के तहत नाबार्ड ने वर्श 2018–19 में 481 आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए 47.86 करोड़ रुपये और 53 राज्य पषु चिकित्सा अस्पताओं और 92 पषु चिकित्सा औशधालयों के लिए 47.57 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृति की हैं। इसके अलावा, इस स्कीम के तहत 700 ग्राम ज्ञान केन्द्रों के निर्माण की 210 करोड़ रुपये की एक परियोजना नाबार्ड की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।

विकास एवं पंचायत विभाग

223. बेहतर स्वच्छता से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने के फलस्वरूप वर्ष 2017 में राज्य को खुले में षौच मुक्त (ओडीएफ) घोशित किया गया। अब, स्वच्छ भारत मिषन–ग्रामीण का लक्ष्य ओडीएफ प्लस अर्थात ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन करना है।

224. विभाग द्वारा 22 जिलों में कुल 1,372 ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 662 ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजनायें और 477 तरल कचरा प्रबन्धन परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

225. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में हरियाणा राज्य को देष में सर्वश्रेश्ठ राज्य का दर्जा मिला है।

226. मैं, इन गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019–20 के लिए 5194.16 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जो संषोधित अनुमान 2018–19 के 4277.40 करोड़ रुपये की तुलना में 21.4 प्रतिषत की वृद्धि है। इसमें ग्रामीण विकास के लिए 816.91 करोड़ रुपये का और विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 4,377.25 करोड़ रुपये का परिव्यय षामिल है।

परिवहन

227. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, सरकार अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए, गुणवत्तापरक सेवाओं के मानदण्डों से समझौता किये बिना, प्रदेष के लोगों को रियायती दरों पर समुचित, दक्ष और सुरक्षित परिवहन सेवायें उपलब्ध करवा रही है।

228. समुचित सड़क सुरक्षा मुहैया करवाने करने के लिये, सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में चालक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस समय, बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में तीन संस्थान चल रहे हैं और भिवानी, नूंह, रेवाड़ी और करनाल में चार चालक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही, सरकार का वर्श 2019–20 में, फरीदाबाद, जींद और सोनीपत में तीन ओर चालक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

229. वर्श 2018–19 में 164 नई बसें षामिल की गईं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में इलैक्टिोनिक टिकटिंग प्रोजैक्ट, आरएफआईडी आधारित बस पास प्रणाली और जीपीएस सिस्टम क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

230. नवम्बर, 2018 में हरियाणा सड़क सुरक्षा कोश नियम, 2018 अधिसूचित किये गये। विभिन्न अपराधों के जुर्माने के रूप में वसूली गई कम्पोजीषन फीस का 50 प्रतिषत सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

231. मैं, बजट अनुमान 2019–20 के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 2605.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

सैनिक एवं अर्ध–सैनिक कल्याण

232. यह बड़े गर्व की बात है कि देष में हर दसवां जवान हरियाणा राज्य से है। युद्ध में षहीद हुए वीरों के 63 आश्रितों को वर्श 2018–19 के दौरान सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार प्रतिरक्षा कार्मिकों, अर्ध–सैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं को सभी अनुदानों की समय पर अदायगी सुनिष्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। षहीदों के परिवारों की सहायता के लिए पिछले चार वर्शों में षहीदों के आश्रितों को 273 नौकरियां दी गई हैं। मैं, वन रैंक वन पेंषन प्रदान करने के लिए तथा वन रैंक वन पेंषन के विरूद्ध वयोवृद्ध सैनिकों के खाते में 35,000 करोड़ रुपये जमा करवाने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। मैं, नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज जो राश्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने के लिए माननीय

प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भूतपूर्व सैनिकों की यह युद्ध स्मारक का उद्घाटन होने जा रहा है, उसको बनाने की चिरलम्बित मांग थी। आजादी के बाद यह पहला युद्ध स्मारक है।

233. बजट अनुमान 2019–20 के लिए सैनिक एवं अर्ध–सैनिक विभाग कल्याण के लिए 211.30 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जो बजट अनुमान 2018–19 के 128.81 करोड़ रुपये से 64.0 प्रतिषत अधिक है।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

234. सरकार ने आधुनिक भारत के महान दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्मक मानव दर्शन' तथा 'अन्त्योदय' के विजन को हासिल करने के लिए श्रमिकों, गरीबों और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लोगों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

235. नवम्बर, 2018 में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 बनाया और अधिसूचित किया गया। यह आयोग प्रदेष में अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन और उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में विषिश्ट षिकायतों की जांच–पड़ताल करेगा।

236. 'मुख्यमंत्री विवाह षगुन योजना' के तहत अनुसूचित जातियों, अनधिसूचित जनजातियों और टपरीवास जातियों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी लड़की की षादी पर 51,000 रुपये और अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य जातियों के बीपीएल परिवारों को 11,000 रुपये की राषि दी जाती है।

237. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत, अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमन्तु और टपरीवास जातियों के गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को मकान की मरम्मत के लिये 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

238. अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए स्व–रोजगार, सिलाई प्रषिक्षण स्कीम चलाई जा रही है।

239. अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 11वीं, स्नातक के प्रथम वर्श और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्श में 8000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की

वार्शिक छात्रवृत्ति दी जाती है। मैट्रिक कक्षा के पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी उनकी प्रतिषतता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है।

240. ''उच्च प्रतियोगी प्रवेष परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता स्कीम'' के तहत अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को प्रतियोगी व प्रवेष परीक्षाओं की तैयारी के लिये निःषुल्क कोचिंग दी जाती है।

241 बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन पहली, नवम्बर, 2018 से 200 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह की गई है। इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता 900 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों की वित्तीय सहायता 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये प्रतिमाह की गई है।

242 मैं बजट अनुमान 2019–20 में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र के लिए 7199.32 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2018–19 के 6348.62 करोड़ रुपये की तुलना में 13.4 प्रतिषत की वृद्धि दर्षाता है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

243. ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मुझे यह बताते हुए बड़ी खुषी हो रही है कि इस कार्यक्रम में सभी तरह के सहयोग, मार्गदर्षन, निगरानी और इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिये भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2019 में इस कार्यक्रम को चार पुरस्कार दिये गए हैं। वर्तमान सरकार के निरन्तर प्रयासों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से, लिंगानुपात (जन्म पर) में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जो वर्श 2011 के केवल 830 की तुलना में वर्श 2018 में बढ़कर 914 हो गया है।

244. प्रदेष के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चलाई जा रही है। पंचकुला और यमुनानगर जिलों को श्रेश्ठ प्रदर्षन के लिये सितम्बर, 2018 में उत्तर क्षेत्र में क्रमषः दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। वर्श 2018–19 के दौरान, हरियाणा के सभी जिलों को पोशण अभियान और महिलाओं के लिये वन स्टॉप सैन्टर ''सखी'' के अधीन लाया गया।

245. मैं बजट अनुमान 2019–20 में **महिला एवं बाल विकास** के लिए 1504.98 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संषोधित अनुमान 2018–19 के 1317.10 करोड़ रुपये के परिव्यय से 14.3 प्रतिषत अधिक है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा अभिलेखागार

246. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा हिसार के राखी गढ़ी में एक स्थल संग्रहालय और विवेचन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। पंचकुला में राज्य पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित होने जा रहा है।

247. पुरातत्व विभाग ने हरियाणा सिविल सचिवालय की 30255 फाइलों का सर्वेक्षण किया है और लगभग 12110 दस्तावेजों की माइक्रो फिल्मिंग की जा चुकी है।

248. मैं बजट अनुमान 2019–20 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लिए 30.33 करोड़ रुपये का और अभिलेखागार के लिए 2.70 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

249. राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राज्य में एक साइंस सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए, गुरुग्राम के नाथूपुर गांव के अरावली जैव विविधिता पार्क को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा राश्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिशद् के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से अम्बाला में एक उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा।

250. मैं बजट अनुमान 2019–20 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 45.30 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जो संषोधित अनुमान 2018–19 के 25.96 करोड़ रुपये के परिव्यय से 74.5 प्रतिषत अधिक है।

जिला योजना

251. जिला जन षिकायत एवं परिवेदना समितियों के अध्यक्ष मंत्रियों की अध्यक्षता में सभी 22 जिलों में गठित जिला विकास एवं निगरानी समितियों की स्वीकृति से जिला योजना स्कीम के तहत षिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, गलियों,

सामुदायिक भवनों और खेलों आदि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किये जाते हैं।

252. बजट अनुमान 2019–20 में जिला प्लान स्कीम के लिए मैं 400 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

आबकारी एवं कराधान – जीएसटी

253. हरियाणा ने जीएसटी, जिसने 'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर' की अवधारणा को वास्तविकता बना दिया है, की कार्यान्वयन **प्रक्रि**या में सक्रिय भागीदारी की है और देश के शीर्ष राजस्व संग्रहकर्ताओं में अपनी जगह बनाई है।

254. जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं के विभाजन के प्रथम दौर को अंतिम रूप दिया गया है। कुल 4.46 लाख करदाताओं में से, राज्य का 3.07 लाख करदाताओं पर और केंद्र का 1.38 लाख पर नियंत्रण है।

255. प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद, पूर्ववर्ती वैट/सीएसटी अधिनियमों के तहत पंजीकृत कुल 2.18 लाख डीलरों ने 31 दिसंबर, 2018 तक जीएसटी को अपनाया है। इसके अलावा, 2.28 लाख से अधिक डीलरों ने इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया है, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विभाग द्वारा समय–समय पर बाजार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और 31 दिसंबर, 2018 तक 2,809 गैर–कार्यात्मक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण रद्द किया गया है।

256. अप्रैल, 2018 में ई–वे बिल के कार्यान्वयन के बाद दिसंबर, 2018 तक 4 करोड़ से अधिक ई–वे बिल सृजित किए गए हैं। वर्तमान में हरियाणा प्रतिदिन औसतन एक लाख ई–वे बिलों के सृजन के साथ, ई–वे बिल सृजन में देश में चौथे स्थान पर है।

257. भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत, विभाग की गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण के लिए, वाणिज्यिक करों हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत विभाग का चयन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य शासन के लिए नागरिक केंद्रित पारदर्शी परिवेश तैयार करना है।

258. इस पहल के तहत, विभाग द्वारा कई ऑनलाइन मॉड्यूल नामतः आबकारी ठेकों की ऑनलाइन निविदा, सी फॉर्म जारी करना, पंजीकरण, कर का भुगतान, रिटर्न दाखिल करना, परमिट और पास, शिकायत पोर्टल और हेल्पडेस्क, लागू किए गए हैं।

259. बजट अनुमान 2019–20 के लिए 223.08 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

अन्य

वित्तीय समावेष

260. जन धन–आधार–मोबाइल (जेएएम) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का क्रांतिकारी प्रभाव हुआ है। वर्श 2018–19 के दौरान, अतिरिक्त 2.65 लाख जन धन बैंक खाते खोले गए, जिससे खातों की कुल संख्या बढ़कर 67.19 लाख हो गई। इनके माध्यम से 31 दिसम्बर, 2018 तक 2319.88 करोड़ रुपये की राषि जमा हुई। इस वर्श के दौरान जन धन योजना में 177.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राषि जमा हुई। ग्रामीण और षहरी क्षेत्रों में खोले गए खातों की संख्या क्रमषः 32.80 लाख और 34.39 लाख है। इसके अलावा 61.43 लाख रुपये कार्ड जारी किए गए।

261. वर्श 2015 में षुरू होने से लेकर 31 दिसंबर, 2018 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 30.48 लाख व्यक्तियों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 9.39 लाख व्यक्तियों तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2.67 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया। यह संख्या निरन्तर बढ़ रही है। गत वित्त वर्श के दौरान, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1.91 लाख व्यक्तियों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 71,069 व्यक्तियों तथा अटल पेंषन योजना के तहत 71,507 व्यक्तियों को नामांकित किया गया।

262. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2018 तक 1.76 लाख लाभार्थियों को 2215.09 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिसमें से 630.97 करोड़ रुपये 1.13 लाख महिला लाभार्थियों को तथा 211.13 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 51,262 लाभार्थियों को वितरित किए गये। मुद्रा योजना के शुरू होने से लेकर 8 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2018 तक सभी तीनों श्रेणियों नामतः षिषु, तरुण व किषोर में 6.99 लाख लाभार्थियों को 8931.03 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

263. स्टैण्ड–अप इण्डिया स्कीम के तहत अप्रैल से दिसम्बर, 2018 तक 463 लाभार्थियों को 89.19 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। इस राषि में से 16. 11 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति तथा 73.08 करोड़ रुपये महिला लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस योजना के षुरू होने से लेकर 5

अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2018 तक 3009 लाभार्थियों को 609.49 करोड़ रुपये के कुल ऋण वितरित किए गए।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

264. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत हरियाणा में 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं तथा 74 राज्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। वित्त वर्श 2018–19 के दौरान छद्म लाभार्थियों को निकालने के परिणामस्वरूप 258.98 करोड़ रुपये की बचत हुई है। वित्त वर्श 2014–15 से 2018–19 तक (दिसम्बर, 2018 तक) कुल 1177.20 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सभी योजनाओं में दिसम्बर, 2018 तक 3088.87 करोड़ रुपये का नोशनल लाभ हुआ है, यदि छंटनी किए गए लाभार्थी वर्ष 2014–15 से निरंतर सम्बन्धित योजनाओं में बने रहते तो यह लाभ नहीं होना था।

सरकारी कर्मचारी और नौकरियां

265. हरियाणा पहली जनवरी, 2016 से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला अग्रणी राज्य है, जिससे लगभग 2300 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है।

266. सरकार ने 46 निगमों, बोर्डों और सहकारी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी पहली जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं, जिससे लगभग 287 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है।

267. इसके अलावा, भत्ता पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर, सरकार ने मई 2018 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दस भत्तों को संशोधित किया, जिससे 800 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

268. लगभग 56,000 युवक–युवतियों को पारदर्शी ढंग से योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए चुना गया है। सरकारी क्षेत्र में सर्वाधिक युवाओं को न केवल संख्या में बल्कि गुणवत्ता में योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का इतिहास रचा गया है। इसके अलावा, लगभग 17,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का हाल ही में लिया गया निर्णय राज्य सरकार की एक और प्रमुख पहल है।

कर प्रस्ताव

269. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं कौटिल्य के कथन का उल्लेख करना चाहता हूँ–

"कर लेने वाले को करदाता से उसी कुशलता से कर लेना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल पर बैठकर उससे पराग लेती है और फूल का कुछ भी नहीं बिगड़ता।"

270. इसी भावना के अनुरूप, पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैं, न तो हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एचवीएटी) अधिनियम, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन करना चाहता और न ही वित्तीय वर्ष 2019–20 के इन बजट अनुमानों में किसी नये कर का प्रस्ताव करता हूँ।

राजस्व प्राप्ति

271. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, हालांकि मैंने वर्ष 2019–20 के लिए किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कर और गैर–कर राजस्व प्राप्तियों की बेहतर वसूली के जरिए वर्ष 2019–20 में 82,219.41 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी, जबकि संशोधित अनुमान 2018–19 में प्राप्तियां 76,828.11 करोड़ रुपये थीं। इसमें राज्य की स्वयं की 51,105 करोड़ रुपये की कर राजस्व प्राप्तियां और 10,024.95 करोड़ रुपये की गैर–कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।

272. कर राजस्व के प्रस्तावित प्रमुख स्रोतों, जीएसटी से 22,750 करोड़ रुपये, वैट से 10,900 करोड़ रुपये, आबकारी षुल्क से 7000 करोड़ रुपये और स्टाम्प एवं पंजीकरण से 6500 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। गैर–कर प्राप्तियों में ईडीसी से 3500 करोड ़रुपये, परिवहन से 2000 करोड़ रुपये और खनन से 800 करोड़ रुपये शामिल हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं पिछले 4 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मैंने राजस्व प्राप्तियों का जो लक्ष्य सदन में रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को भी आगे लेकर जा सकते हैं। हरियाणा के लोगों में इससे आगे भी लक्ष्य प्राप्त कराने का माद्दा है।

273. इसके अतिरिक्त, सरकार अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है, जोकि वर्ष 2019–20 में 22,413.79 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 में, भारत सरकार से 9,872.82 करोड़ रुपये की राशि का सहायतानुदान वित्तपोषण का एक अन्य प्रमुख स्रोत होगा।

समग्र क्षेत्रवार हिस्सा

274. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं वित्त वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बजट आवंटन के हिस्से का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा।

275. मैंने कुल बजट का 26.12 प्रतिषत आर्थिक सेवाओं (अर्थात कृशि एवं सम्बद्ध, सिंचाई एवं ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी–10.31 प्रतिषत, बिजली–4.63 प्रतिषत, परिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़क एवं पुल–4.12 प्रतिषत, ग्रामीण विकास एवं पंचायत–3.85 प्रतिषत और अन्य 3.23 प्रतिषत) के लिए आवंटित किया है। 30.69 प्रतिषत सामाजिक सेवाओं (षिक्षा–11.61 प्रतिषत, सामाजिक कल्याण– 7.05 प्रतिषत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण–3.80 प्रतिषत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी– 2.71 प्रतिषत और अन्य–5.52 प्रतिषत) के लिए आवंटित किया है। सामान्य सेवाओं का 15.28 प्रतिषत है (प्रषासनिक सेवाएं– 4.49 प्रतिषत, पेंषन–8.07 प्रतिषत और अन्य–2.72 प्रतिषत) और 27.91 प्रतिषत ऋण की अदायगी (मूलधन–15.33 प्रतिषत और ब्याज–12.58 प्रतिषत) के लिए आवंटित किया गया है।

276. समावेषी विकास का उद्देष्य अपूर्ण और निरर्थक है, जब तक यह समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं तक न पहुंचे। इस उद्देष्य की प्राप्ति के लिए 8,293. 90 करोड़ रुपये, जो कल्याण और विकास स्कीमों के 41,386.38 करोड़ रुपये के परिव्यय का 20.04 प्रतिषत है, 2019–20 में एससीएसपी घटक के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित किया गया है और महिलाओं के कल्याण के लिए

24.07 प्रतिषत, जोकि 9,961.96 करोड़ रुपये है, आवंटित किया गया है।

निष्कर्ष

277. माननीय उपाध्यक्षा महोदया, अल्प वित्तीय संसाधनों की निगरानी करने और इनका राज्य के समग्र विकास के लिए फलदायी उपयोग करने के लिए मैंने हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम व आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क जैसी कई नई पहल की हैं। मैंने **'हरियाणा एक हरियाणवी एक'** की भावना के

अनुरूप अपना बजट हरियाणा के लोगों को समर्पित किया है। मेरा बजट अभिभाषण अत्यंत ध्यान व धैर्य से सुनने के लिए, यदि मैं इस गरिमामयी सदन के प्रत्येक सदस्य का आभार व्यक्त न करूँ तो मैं अपने–आपको अपने कर्त्तव्य में असफल समझूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी तौर पर आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे लगातार पांचवी बार प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

278. जीएसटी के क्रियान्वयन को बाधारहित और दक्ष तथा बदलाव को सुगम बनाने के लिए मैं इस अवसर पर सरकार की ओर से और अपनी तरफ से जीएसटी परिशद की सराहना करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कर स्लैब को कम करने और छोटे कारोबारियों व निर्माताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी परिशद् का विषेश रूप से धन्यवाद करता हूँ। जीएसटी परिशद द्वारा जीएसटी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से रियल एस्टेट क्षेत्र में उछाल आएगा और गरीबों के लिए किफायती आवासों को बढ़ावा मिलेगा।

279. अब मैं, अपने बजट प्रस्तावों, जो विकास प्राथमिकताओं और तीव्र प्रगति के साथ केन्द्र की राजकोशीय दूरदर्षिता के साथ तालमेल से हरियाणा को अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित करने हेतु इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेषवासियों को समर्पित हैं, पर चर्चा एवं विचार–विमर्ष करने और इन्हें अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ। जैसा कि कौटिल्य ने कहा है, मैं पुनः उद्धृत करता हूँ–

''प्रजा के सुख में सरकार का सुख है''

सर्वे भवन्तु सुखिनः

280. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ, अब मैं वर्ष 2019–20 के बजट को सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

वन्दे मातरम्!

जय हिन्द!

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी,. 2019, प्रातः 10:00 बजे प्रथम बैठक तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

13.52 बजे **(तत्पश्चात सभा मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019 प्रातः 10:00 बजे की (प्रथम बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई।)**